दिसम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
श्री कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

प्रबंध सम्पादक
संदीप यादव

समन्वय
मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श
प्रद्युम्न शर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

5 ▸ शक्तिशाली मध्यप्रदेश के लिए रखें बड़ी सोच
6 ▸ एक साल में 365 वचन पूरे

9 ▸ पंचायतराज और ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियों भरा एक वर्ष
12 ▸ महिलाओं के स्वावलंबन से प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा
13 ▸ महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएं

14 ▸ छात्राओं को वितरित किए नि:शुल्क ड्राइविंग लायसेंस
14 ▸ बघोर में आपकी सरकार आपके द्वार : पात्र हितग्राहियों को मिले योजनाओं का लाभ
16 ▸ समारोहपूर्वक मनाया गया मध्यप्रदेश का 64वां स्थापना दिवस
16 ▸ उक्सा में नलजल योजना का भूमिपूजन
16 ▸ 235 दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित

17 ▸ ग्रामों में सुदृढ़ अधोसंरचना से समृद्ध मानव विकास का लक्ष्य
18 ▸ महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र : ग्रामवासियों की सेवा का अद्भुत संकल्प
20 ▸ प्रियदर्शिनी महिला ग्राम सभा
28 ▸ मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का वचन किया पूरा
30 ▸ महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना
31 ▸ मध्यप्रदेश में लोक चित्रों से स्वच्छता संवाद
32 ▸ ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान व प्रिया सॉफ्ट
35 ▸ रूर्बन मिशन
36 ▸ देश में पहली बार सड़क निर्माण के लिए मध्यप्रदेश ने बनाया सॉफ्टवेयर
38 ▸ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रशिक्षण रणनीति एवं क्रियान्वयन
40 ▸ सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक पहल : महिला राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण
41 ▸ मध्यप्रदेश के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की सार्थक पहल
43 ▸ मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूहों का रोज़गार से स्थाई आजीविका का जन आंदोलन
45 ▸ प्रदेश में इस वर्ष 1257 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोज़गार सृजन

47 ▸ नदी कछार में जल संरक्षण-संवर्धन
48 ▸ हिंद स्वराज : गांधीजी का विचार सागर

चिट्ठी-चर्चा

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवम्बर माह का अंक पढ़ा। इस अंक में ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ-साथ पंचायतों में हो रहे नवाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किये गये नवाचारों के कारण मध्यप्रदेश में पंचायतें डिजिटल हुई हैं। आज प्रदेश की सभी पंचायतों में डिजिटल भुगतान हो पाना संभव हुआ है। इसकी विस्तृत जानकारी को पंचायिका पत्रिका में प्रकाशित किया जाना सराहनीय है।

- अमित सोनी
सतना (म.प्र.)

संपादक जी,

ग्राम पंचायत विकास योजना पर केंद्रित मध्यप्रदेश पंचायिका का नवंबर माह का अंक पढ़ने को मिला। ग्राम पंचायत विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत बनाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना की सम्पूर्ण जानकारी को मध्यप्रदेश पंचायिका में बेहद आसान शब्दों में प्रकाशित किया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजना से प्रदेश की ग्राम पंचायतें निश्चित रूप से सशक्त होंगी।

- कैलाश शर्मा
मैहर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ने को मिला। इस अंक में पंचायतराज संस्थाओं से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां प्रकाशित की जाती रही हैं। प्रदेश की पंचायतों को अपने वित्तीय कार्यक्रमों के संचालन के लिए 14वें वित्त आयोग की परफॉरमेंस ग्रांट राशि जारी की गई है। इस जानकारी को पंचायिका में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। यह जानकारी प्रतिनिधियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगी।

- प्रमोद त्रिवेदी
महू (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवंबर माह का अंक पढ़ा। इस अंक में मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की पेडरा पंचायत को बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत पुरस्कार मिलने की जानकारी प्रकाशित की गई है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से मध्यप्रदेश के 12 जिलों की 13 पंचायतों को भी पुरस्कृत किया गया है। यह पंचायतें ग्रामीण विकास की सफलता को परिभाषित करती हैं। साथ ही अन्य पंचायतों के लिए भी आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस जानकारी को पंचायिका में प्रकाशित करने से यह अंक संग्रहणीय बन गया है।

- मोहन सिंह राजपूत
हरदा (म.प्र.)

कमलेश्वर पटेल
मंत्री

प्रिय बंधुओ,

मध्यप्रदेश सरकार का यह पहला एक साल उपलब्धियों, संघर्ष और सक्रियता से भरा है। एक वर्ष पहले सरकार ने जब अपना कार्यकाल आरंभ किया तब परिस्थितियां विषम थीं। भारी कर्जे में डूबे इस प्रदेश में विकास कार्य आरंभ करने की बड़ी चुनौतियां थीं।

श्री कमल नाथ जी के नेतृत्व में इस सरकार ने इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कार्य आरंभ किया। उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के साथ ही निर्माण का क्रम शुरू हुआ। सरकार ने पहला निर्णय किसानों को कर्जमुक्त करने का लिया। इसके पहले चरण में लगभग 21 लाख किसानों के 7154.36 करोड़ के कर्जे माफ हो चुके हैं। कर्ज मुक्ति का दूसरा चरण सरकार ने अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष के पहले दिन से आरंभ कर दिया है। इस दूसरे चरण में लगभग 12 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

अपने वचन-पत्र में पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से गांवों के विकास के लिए दिये गए वचनों की पूर्णता के परिणाम इस एक वर्ष में आपके सामने हैं। आवास और शौचालयविहीन घरों का चिन्हांकन और निर्माण, नदी पुनर्जीवन योजना, पंचायतों में आधुनिक गौशाला खोलने का निर्णय, अपात्र बसाहटों और एकल संपर्कताविहीन राजस्व ग्रामों में सड़क संपर्क की व्यवस्था, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज विकास योजना से पंचायतों का सुदृढ़ीकरण, पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए राशि में बढ़ोतरी और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीणों के आर्थिक स्वावलम्बन से समृद्ध ग्रामीण समाज का निर्माण और नेतृत्व उभर कर आया है।

'आपकी सरकार आपके द्वार' अभियान में शासन-प्रशासन ने खुद आपके घर आकर आपकी समस्याओं को जाना और समस्या को तुरंत दूर भी किया है। किसान, गांव और किसानी के हित में सरकार का बड़ा फैसला है प्रदेश की पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र खोले जाने का निर्णय। अब किसानों को अपनी जरूरत के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए तहसील मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे अपने गांव में ही सारे आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे। किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले इसकी व्यवस्था और किसान को कीटनाशक और खाद के नाम पर नकली सामान न मिले, इसके लिए सरकार ने अभियान 'शुद्ध के लिए युद्ध' छेड़ा है।

किसानों की खुशहाली और पंचायती राज व्यवस्था को सक्षम बनाकर गांव की खुशहाली हमारा संकल्प है। इस सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में गांव और पंचायत के विकास के जो निर्णय हुए हैं वह दूसरे वर्ष में पूरे हो जायेंगे, ताकि हम प्रदेश को उन्नत बनाने के लिए नए कदम उठा सकें।

आइए, हम सब मिलकर विकास की संभावनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास करें।

(कमलेश्वर पटेल)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

आयुक्त की कलम से...

संदीप यादव
आयुक्त

प्रिय पाठको,

सत्रह दिसम्बर को इस सरकार का एक वर्ष पूर्ण हो गया है इस एक वर्ष में प्रदेश में कई नीतिगत निर्णय हुए और इन निर्णयों को अमल में भी लाया गया। पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तिकरण और सुचारु संचालन के लिए सरकार के वचन-पत्र में दिये गए वचनों को पूर्ण करने की दिशा में शासन-प्रशासन ने सफलता प्राप्त की है।

पंचायिका का यह अंक प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यों, नवाचारों और उपलब्धियों पर केन्द्रित है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के ब्लॉग के माध्यम से आप तक उनकी सोच, प्रतिबद्धता और मंशा को पहुंचाने का प्रयास किया है।

'विशेष' स्तम्भ में एक साल में सरकार के 365 वचनों की पूर्ति का सम्पूर्ण विवरण है। एक वर्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये गये कार्यों की संक्षिप्ति को 'पंचायत राज और ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियों भरा एक वर्ष' शीर्षक के विशेष लेख में समाहित किया है। इस बार 'खास खबरों' में प्रियदर्शिनी ग्रामसभा का आयोजन, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम तथा अन्य समाचारों को शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र शुरू करने जा रही है। इन सेवा केन्द्रों से ग्रामीणों को क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी इसका विस्तृत विवरण 'लेख' स्तम्भ में प्रकाशित किया जा रहा है।

गांधीजी की 150वीं जयंती समारोह वर्ष के अवसर पर दो अक्टूबर से प्रदेश की सभी 22812 पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू की गयी। इस कार्य योजना को प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की जानकारी 'मध्यप्रदेश में गांधीजी के ग्राम स्वराज को अमल में लाने का संकल्प और परिणाम' आलेख में प्रकाशित किया जा रहा है। सरकार के पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में दिये गये वचन और उनकी पूर्ति के अंतर्गत 'पंचायत राज' स्तम्भ में शामिल है - मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का वचन किया पूरा तथा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना की जानकारी।

इसी अंक में सरकार के एक वर्ष में किये गये विशेष कार्यों में स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान तथा पंचायतों द्वारा ऑनलाइन भुगतान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन, महात्मा गांधी नरेगा तथा नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम की जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

इस अंक में बस इतना ही, उम्मीद है कि पंचायिका का यह विशेष अंक आपके लिए उपयोगी, मार्गदर्शक और संग्रहणीय रहेगा।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(संदीप यादव)
आयुक्त, पंचायत राज

शक्तिशाली मध्यप्रदेश के लिए रखें बड़ी सोच

• कमल नाथ

मैंने मध्यप्रदेश को अपार अवसरों और संभावनाओं के प्रदेश के रूप में देखा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मध्यप्रदेश के लोगों ने जो पाया उससे कहीं ज्यादा बेहतर के हक़दार हैं। मुझे लगता है कि विकास की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते समय अच्छे और बुरे समस्त बिंदुओं की परस्पर तुलना करना उचित और तार्किक नहीं होगा क्योंकि हर समय बिंदु पर प्राथमिकताएँ बदलती रहती हैं। नए-नए परिदृश्य उभरते हैं और नए रास्ते खुलते जाते हैं। नए क्षेत्र खुलते हैं।

हमें नए क्षितिजों पर ध्यान लगाना होगा।

एक साल बीत गया। सरकार की स्थिरता के सम्बन्ध में तमाम अटकलों का अंत हो गया है। मैंने बार-बार दोहराया कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, यह सरकार लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों का प्रतिबिंब है। लोग चाहते थे कि उनकी पसंद का एजेंडा लागू हो, न कि उन पर कोई एजेंडा थोपा जाए। लोगों के फैसले का सम्मान स्वस्थ रूप से किया जाना चाहिए। यदि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो हमें लोगों की पसंद और उनके विवेक का सम्मान करना चाहिए।

मैंने मध्यप्रदेश को अपार अवसरों और संभावनाओं के प्रदेश के रूप में देखा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मध्यप्रदेश के लोगों ने जो पाया उससे कहीं ज्यादा बेहतर के हक़दार हैं। मुझे लगता है कि विकास की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते समय अच्छे और बुरे समस्त बिंदुओं की परस्पर तुलना करना उचित और तार्किक नहीं होगा क्योंकि हर समय बिंदु पर प्राथमिकताएँ बदलती रहती हैं। नए-नए परिदृश्य उभरते हैं और नए रास्ते खुलते जाते हैं। नए क्षेत्र खुलते हैं। इसलिए अंधेरे को कोसने से अच्छा रोशनी करना बेहतर है। अतीत को कोसने की अपेक्षा भविष्य की ओर आगे देखना बेहतर है। हमें नए क्षितिजों पर ध्यान लगाना होगा।

हमारे सभी फैसले लोगों की अपेक्षाओं पर आधारित हैं। हमने अब तक अनसुने लोगों को भी सुना और एक नई शुरुआत की। मध्यप्रदेश अब एक बहुप्रतीक्षित आर्थिक गतिशीलता के लिए तैयार है। लोग उत्तरदायी और जवाबदेह शासन चाहते हैं। उनकी समस्याओं को संवेदनशील तरीके से हल किया जाना चाहिए। उनके वैधानिक अधिकारों और सहूलियतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। वे एक प्रभावी और सक्षम सेवा प्रदाय तंत्र की अपेक्षा करते हैं। हमने बहुत कम समय में जो किया है वह सबके सामने है। मैं मानता हूँ कि पारदर्शिता सुशासन की आत्मा है। लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है।

हमें लोगों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास है। वे भी सरकार की चुनौतियों से वाकिफ हैं। लंबे समय से चली आ रही दूरी को पाटने के लिए शासन में संरचनात्मक सुधारों की बहुत आवश्यकता है। हम संविधान से प्रेरणा लेते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। केंद्र में हमारी सरकार ने पहले अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा का अधिकार लागू किया। इनका व्यापक असर आज दिख रहा है। इसी तरह से, हम स्वास्थ्य के अधिकार और पानी के अधिकार के बारे में कानून ला रहे हैं। इसके अलावा, हम रोज़गार के अधिकार पर भी विचार-विमर्श कर रहे हैं। यह तभी संभव है जब राज्य में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ें और आर्थिक उद्यमिता का विकास हो।

मध्यप्रदेश में वह सब कुछ है, जो इसे एक आर्थिक शक्ति बना सकता है। इस सच्चाई के बावजूद कि हमारे पास मजबूत, प्रतिबद्ध और कुशल जनशक्ति, अपार संसाधन और अच्छी भौगोलिक कनेक्टिविटी है, मध्यप्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में सब ठीक नहीं है। कोई कारण नहीं है कि हमें धीमी गति से चलना पड़े।

हमें अपनी जीडीपी का विस्तार करना होगा और इसे वास्तविक रूप में और ज्यादा सहभागी बनाना होगा। हर वर्ग और क्षेत्र का जीडीपी के विस्तार में योगदान होना चाहिए। इसके लिए हमें ऐसा माहौल बनाना होगा, जिसमें हर नागरिक अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने

के बारे में सोच सके। विशाल लेकिन यथार्थवादी आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और उन्हें हासिल करने के लिए खुद को संकल्पित होना होगा। सरकार ने ऋणग्रस्त किसानों के ऋण माफ करने का अपना पहला बड़ा निर्णय लिया। ऋण माफी प्रक्रिया अभी जारी है और हम अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आदिवासी समुदायों को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्षों से जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को उनका वाजिब हक मिले। उनकी ऋणग्रस्तता सरकार के आवश्यक हस्तक्षेप के साथ समाप्त होनी चाहिए। उनका सामाजिक अलगाव राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

हमारे सभी निर्णय चाहे वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण हो या आवारा मवेशियों के लिए शेड का निर्माण, बेसहारा, विकलांग लोगों के लिए पेंशन को दोगुना करना, मध्यप्रदेश को खाद्य मिलावट मुक्त राज्य बनाने के लिए संकल्प करना, बिजली दर को कम कर प्रथम 100 यूनिट 100 रुपये में देना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण, निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दर को 20% तक कम करना, आदिवासी समुदायों के तीर्थों का संरक्षण करना हो, सभी उत्तरदायी सरकार बनने के संकल्प की झलक दिखाते हैं। भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा।

हम अपने इकानॉमिक विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण कर रहे हैं। हर नागरिक से अपील है कि वे इसे लागू करने में सहयोग करें। मध्यप्रदेश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए बड़ा सोचें।

(ब्लॉगर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

164 वचन पूर्ण और

उल्लेखनीय रहा एक

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने 17 दिसम्बर को एक वर्ष पूरा किया। इस अवधि में प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 2018 में प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन के पूर्व जारी वचन-पत्र के बिन्दुओं को पूरी शिद्दत से अमली जामा पहनाया। पिछले एक वर्ष की अवधि के पूरे 365 दिनों में सरकार को प्रतिदिन एक वचन की पूर्ति अथवा सतत पूर्ति करने में सफलता मिली। इस अवधि में 164 वचन पर पूर्ण रूप से और 201 वचन पर सतत पूर्ति की श्रेणी में काम हुआ।

किसान-कल्याण के क्षेत्र में राज्य सरकार ने कार्यभार संभालने के पहले ही दिन किसानों की ऋण माफी का फैसला लिया। इस फैसले के अनुरूप प्रथम चरण में 20 लाख 22 हजार 731 ऋण खातों पर 7,154.36 करोड़ की राशि की माफी की जा चुकी है। कर्ज माफी का दूसरा चरण आज से प्रारम्भ हो रहा है, जिसमें कुल 12 लाख से अधिक ऋण खातों पर राशि रुपये 11 हजार 675 करोड़ से अधिक की माफी की जायेगी।

इस प्रकार सरकार की कथनी और करनी में भेद नहीं रहा। उसने जो कहा सो किया। निर्वाचन के पूर्व जनता को दिये गये वचनों की पूर्ति की दृष्टि से पिछला एक वर्ष उल्लेखनीय रहा। इस अवधि में खासतौर से किसान-कल्याण और कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, युवा, नगरीय विकास और ग्रामीण विकास से संबंधित वचनों की पूर्ति विशेष रही।

किसान-कल्याण के क्षेत्र में राज्य सरकार ने कार्यभार संभालने के पहले ही दिन किसानों की ऋण माफी का फैसला लिया। इस फैसले के अनुरूप प्रथम चरण में 20 लाख 22 हजार 731 ऋण खातों पर 7,154.36 करोड़ की राशि की माफी की जा चुकी है। कर्ज माफी का दूसरा चरण सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रारम्भ हो रहा है, जिसमें कुल 12 लाख से अधिक ऋण खातों पर राशि रुपये 11 हजार 675 करोड़ से अधिक की माफी की जायेगी।

सरकार ने गेहूँ के विपुल उत्पादन की स्थिति में मूल्य स्थिरीकरण के उद्देश्य से जय किसान समृद्धि योजना भी लागू की। मक्का में फ्लैट भावांतर भुगतान योजना में 896 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। जैविक खेती का रकबा बढ़ाने के लिये 3828 क्लस्टर अथवा समूह में जैविक खेती का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी मंडियों में ई-अनुज्ञा (ऑनलाइन) प्रणाली लागू की गई। पहली बार किसानों को अनुदान पर कन्बाइन हार्वेस्टर प्रदान किये गये।

201 सतत पूरे साल का सरकार का कार्यकाल

नये 264 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना की जा रही है। उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण को भी प्रोत्साहन इस अवधि में दिया। नयी मुख्यमंत्री बागवानी और खाद्य प्र-संस्करण योजना लागू की गई। सब्जी और मसाला विस्तार योजना में अजजा और अजा वर्ग के किसानों की अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत की गई। शिक्षित बेरोजगारों को उद्यानिकी फसलों के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार देने संबंधी नई नीति बनाई जा रही है।

सरकार ने अगले पाँच वर्ष में वर्तमान सिंचाई क्षमता को 33 लाख से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य निर्धारित कर काम शुरू कर दिया है।

शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना आरम्भ की गई। इसका उद्देश्य नगरीय क्षेत्र के युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देकर क्षमता बढ़ाना तथा जीवन यापन की फौरी जरूरतों की पूर्ति हेतु एक वर्ष में 100 दिवस का अस्थायी रोजगार एवं समानुपातिक स्टाइपेंड प्रदान करना है।

राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा व्यवस्था कायम करने के लिये पिछले एक साल में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर उन्हें जमीन पर उतारा।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के चुनिंदा और बेहतर शिक्षा के लिए अग्रणी प्रदेशों के समकक्ष बनने की ओर मध्यप्रदेश ने शिक्षक-छात्र अनुपात बेहतर करने के साथ मजबूती से कदम बढ़ाये हैं।

इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू कर आम उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली एक रुपये प्रति यूनिट देने का काम किया गया। इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू कर किसानों के लिये 10 हार्स पावर तक के पंपों पर विद्युत शुल्क 1400 रुपये से घटाकर 700 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष कर दिया।

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जो जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी देने वाला कानून बनाने जा रहा है। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य निवेश प्रोत्साहन नीति-2019 को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में लगभग 100 संजीवनी क्लीनिक स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। 118 सिविल डिस्पेंसरी एवं 136 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स-मध्यप्रदेश आरोग्यम् के रूप में विकसित किया जा रहा है।

चिकित्सा की आधुनिक सुविधाओं युक्त स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना के साथ समुचित संख्या में डाक्टरों की पदस्थापनाएँ की गई हैं। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता के लिये 'मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना' लागू

करने का निर्णय लिया गया। मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिये सीट्स की संख्या भी बढ़ाई गई है।

प्रदेश सरकार की नजर में पीने के लिये साफ पानी केवल जरूरत ही नहीं, बल्कि सामान्य जन का अधिकार भी है। 'राइट टू वाटर एक्ट' लागू होने पर मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहाँ लोगों को पानी का कानूनी अधिकार मिलेगा। पिछले एक वर्ष में सड़कों के निर्माण, मजबूतीकरण और नवीनीकरण के अनेक कार्य प्रदेश के विकास के लिये प्रतिबद्धता का प्रमाण रहे।

प्रदेश की नई सरकार की प्राथमिकताओं की फेहरिश्त में महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास सबसे ऊपर रहा। नई बाल संरक्षण नीति बनाई जा रही है। पोषण आहार अभियान के तहत अब बच्चों के वजन के साथ ही उम्र के अनुसार कद के मान से उसके परिवार को पोषण परामर्श दिया जा रहा है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत राज्य किशोर न्याय नियम बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। अब दुष्कर्म पीड़िता बालिका अथवा महिला से जन्म लेने वाली बालिका को भी लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना की राशि 28,500 से बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई है। राज्य सरकार द्वारा गाँवों के विकास के लिये विभिन्न नवाचारी योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी घर शौचालयविहीन ना रहे, इसलिये शौचालयविहीन घरों का चिन्हांकन किया जा रहा है। नदियों के पुनर्जीवन हेतु नदी पुनर्जीवन योजना बनाई गई, जिसमें 40 जिलों में 40 नदियों का चयन किया गया। इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1000 गौ-शाला निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कुल 903 गौ-शालाओं का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

अपात्र बसाहटों के लिये एकल अथवा दोहरी सम्पर्कता प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव के क्रियान्वयन के लिये नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रचलन में है। एकल सम्पर्कता विहीन राजस्व ग्रामों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना विकास निधि से डामरीकृत सड़क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना' में पक्के निर्माण कार्यों में 50 प्रतिशत राशि सी.सी. सड़क पर व्यय करने की अनिवार्यता समाप्त कर कुल व्यय सीमा 75 प्रतिशत की गई। पीएमजीएसवाय-एक एवं दो में 3319 किमी लंबाई सड़कें पूर्ण की गईं। म.प्र. ग्रामीण सम्पर्कता परियोजना में 2752.51 कि.मी. लंबाई की बी.टी. अथवा सी.सी. मार्गों का निर्माण पूर्ण किया गया। अन्य योजनाओं में भी 580 ग्रामों को सड़कों से जोड़ा गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना में दो लाख 23 हजार आवास पूर्ण किये गये। सर्वे में छूट गये तीन लाख से अधिक शौचालयविहीन घरों में शौचालयों का निर्माण कराया गया। सवा 5 लाख से ज्यादा परिवारों को संगठित कर करीब 50 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया। इन समूहों को 37 हजार प्रकरणों में बैंकों से 232 करोड़ रुपये का ऋण दिलाया गया। मनरेगा में साढ़े 12 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये। इस अवधि में सरकार ने आदिवासी समुदाय के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के प्रयासों के अलावा संस्कृति, इतिहास और देव स्थानों के संरक्षण एवं उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश की है। वन अधिकार अधिनियम के दावों के निराकरण और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू कर जन्म और मृत्यु संस्कार के समय भोज देने के लिये अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य सरकार ने सभी तरह के माफिया को समाप्त करने की मुहिम भी शुरू कर दी है। कानून को हाथ में लेने वाले तत्वों, फिर चाहे वे कितने ही रसूखदार हों, को कानून के शिकंजे में लाने के परिणाम भी दिखने लगे हैं।

शासन-प्रशासन के सुदृढ़ीकरण, सभी वर्गों के कल्याण एवं शासकीय सेवकों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लेकर लागू किया गया। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं और शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। शासकीय सेवाओं में मध्यप्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए अभ्यर्थियों का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य किया गया। खुली प्रतियोगिता से भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई। इसी के साथ आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है।

इस तरह प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष में हर उस क्षेत्र में लोगों के कल्याण और बेहतरी की कोशिशें कीं, जो बुनियादी रूप से महत्व के हैं। फिर चाहे वह खेती-किसानी हो, सिंचाई हो, पेयजल हो, बिजली हो, उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शासन-प्रशासन हो, राजस्व प्रकरण हो या लोक सेवाओं का प्रदाय, सबमें कुछ न कुछ नया हुआ, उल्लेखनीय हुआ। पर्यटन-संस्कृति, अध्यात्म हो या बेहतर कानून-व्यवस्था, सरकार ने हर मोर्चे पर काम किया और वह भी पूरी शिद्दत से और परिणामोन्मुखी।

यह सब प्रदेश सरकार ने तब किया जब विरासत में खाली खजाना मिला। ऐसे में सरकार ने अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदला। हर तबका चाहे वह युवा हो, महिला हो, किसान हो या आदिवासी भाई, पिछड़े वर्ग के भाई-बहन हों या सामान्य वर्ग के, बच्चे हों या बुजुर्ग कोई भी पिछले एक वर्ष में सरकार की चिंताओं से अछूता नहीं रहा। इस एक वर्ष में प्रदेश सरकार ने 'वक्त है बदलाव का', को सार्थक किया तो प्रदेशवासियों को यह विश्वास भी दिया कि वह अकेले नहीं हैं सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है सुख में-दुख में।

पंचायतराज और ग्रामीण विकास की दिशा में
उल्लेखनीय उपलब्धियों भरा एक वर्ष

मध्यप्रदेश ग्राम प्रधान राज्य है। यहां लगभग 55 हजार गांव और 22 हजार 814 ग्राम पंचायतें हैं। अत: कांग्रेस ने अपने वचन-पत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं पर संभवत: अधिक बल दिया। श्री कमल नाथ जी की सरकार को लगभग एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस अवधि में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह सुनिश्चित किया है कि उनके नेतृत्व में जमीनी स्तर पर वचन-पत्र को अमलीजामा पहनाया जाये। मात्र एक वर्ष की अवधि में इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। प्रस्तुत है उसी की संक्षिप्ति।

कांग्रेस के वचन-पत्र में दो प्रमुख बिन्दु थे- प्रत्येक ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाना तथा महात्मा गांधी के सपनों के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का सशक्तिकरण। इस संदर्भ में उपलब्धि शत-प्रतिशत है क्योंकि 313 जनपदों के कुल 22814 पंचायतों की कार्ययोजना बनाकर अपलोड कर दी गयी है तथा अगले वर्ष (2020-21) की योजना का काम प्रगति पर है। ग्राम पंचायतों को अधोसंरचना विकास हेतु राज्य वित्त आयोग मद की राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना में आवश्यक परिवर्तन कर दिये गये हैं। मिशन अंत्योदय मोबाइल एप से शत-प्रतिशत पंचायतों का सर्वे हो गया है।

ग्राम स्वराज सशक्तिकरण के लिये प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अत: त्रिस्तरीय पंचायतराज के मद्देनजर तीनों स्तरों पर प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। उदाहरणार्थ, जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित करके 42 हजार जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। छब्बीस हजार कार्यकारी अमला प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रदेश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु कार्य आयोजना बना दी गई है। इनमें शामिल हैं एस.आई.आर.डी. जबलपुर तथा संजय गांधी संस्थान पचमढ़ी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2,23,133 आवास बन चुके हैं। इसी सेक्टर में महिलाओं को रोज़गार देने के लिये 9411 महिलाओं को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया।

ग्रामीणों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिये 2,67,805 स्व-सहायता समूहों का गठन करके

30 लाख से अधिक परिवारों को इस गतिविधि से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त कृषि और गैर कृषि आधारित बहुत सी योजनाएं हैं जिनसे ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित होती हैं। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से 54963 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

74478 बेरोजगार युवकों को रोज़गार तथा स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किये गये। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत 66492 शालाओं में 54.40 करोड़ की धनराशि से एल.पी. जी. गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुआंमुक्त कर दिया गया है।

वचन-पत्र में गौशालाओं की स्थापना और संचालन का प्रमुख बिन्दु था। तदनुसार जिला स्तरीय समन्वय समितियों ने गौशालाओं के लिये 960 स्थान अनुमोदित कर दिये हैं जिनमें से 903 पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुछ गौशालाओं का निर्माण कार्य तो छत स्तर तक पहुंच गया है। इस गतिविधि से भी स्थानीय रोज़गार मिला है क्योंकि अभी तक व्यय 60.24 करोड़ रुपये की धनराशि में से 10.55 करोड़ रुपये तो केवल मजदूरी पर ही व्यय किये गये हैं। शेष 49.70 करोड़ रुपये की निर्माण सामग्री खरीदी गयी है। इन सबसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है। ग्रामसभाओं में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करना था। इस दृष्टि से 'सबला महिला सभा' तथा 'प्रियदर्शिनी महिला ग्रामसभा' का आयोजन किया गया। महिला सरपंच या उप-सरपंच द्वारा ग्रामसभा की अध्यक्षता सुनिश्चित की गई है।

मनरेगा जैसी श्रम-प्रधान रोज़गार योजनाओं के नियोजन और हितग्राही चयन में प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिये महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए स्व-सहायता समूहों को भी क्रियान्वयन एजेन्सी बनाने पर बल दिया जा रहा है। जिन महिलाओं ने इस क्षेत्र में सफलता अर्जित की है उन्हें रोल-मॉडल के रूप में प्रस्तुत करके सम्मानित किया जा रहा है ताकि महिलाओं को वैसी ही उपलब्धियां हासिल करने की प्रेरणा मिल सके।

सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, सामाजिक न्याय की सुनिश्चिति तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विषयक योजनाओं की व्यापक कार्यनीति पर बल के अतिरिक्त स्वयं महिलाओं द्वारा उनकी मॉनीटरिंग को भी रेखांकित किया गया है। महिलाओं के सर्वतोन्मुखी कल्याण की जिन योजनाओं से सुपात्र महिलाएं छूट गई हों तो उन्हें खोजकर उसमें हितग्राही बनाना है। महिला उत्पीड़न के विरुद्ध सशक्त अभियान जारी है। ग्रामों को नशामुक्त करने में महिलाओं ने पहल की है और उसमें उनका सक्रिय योगदान जारी है। सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान तथा निकाह योजना की राशि बढ़ाकर रुपये 28 हजार से 51 हजार कर दी है। इसकी जानकारी व्यापक रूप से दी जा रही है ताकि अधिकाधिक

ग्राम पंचायत स्तर पर युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन भी किया जा रहा है जो ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिये ग्राम पंचायत तथा शासकीय विभागों के बीच सहयोग, समन्वय तथा समायोजन सुनिश्चित करेगी। इसके ग्यारह सदस्यों में महिला तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व रहेगा। सुपात्र हितग्राहियों को चिंहित करने से लेकर उन्हें समस्त शासकीय योजनाओं के लाभ सुनिश्चित कराने का काम भी समिति करेगी।

सुपात्र महिलाएं इससे लाभान्वित हो सकें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन छह सौ रुपया प्रतिमाह होने के बारे में व्यापक चर्चा की गई है। मध्यप्रदेश के 28 जिलों में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंचायत-स्तर पर स्व-सहायता समूह एवं पंचायत के मध्य समन्वय हेतु प्रत्येक संबंधित पंचायत में एक पंचायत सखी का चयन किया जा रहा है। फिलहाल प्रथम चरण में 51 जिलों के लिये 4525 सखियों का चयन हो गया है। नवंबर माह से 18 जिलों में सखियों का प्रशिक्षण हो रहा है। अन्य कार्यों के अतिरिक्त पंचायत सखी बैंक संबंधी काम भी करेंगी। इस दिशा में अधिकांश कार्य पूरा कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत स्तर पर युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन भी किया जा रहा है जो ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिये ग्राम पंचायत तथा शासकीय विभागों के बीच सहयोग, समन्वय तथा समायोजन सुनिश्चित करेगी। इसके ग्यारह सदस्यों में महिला तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व रहेगा। सुपात्र हितग्राहियों को चिंहित करने से लेकर उन्हें समस्त शासकीय योजनाओं के लाभ सुनिश्चित कराने का काम भी समिति करेगी। यह एक अभिनव योजना है जिससे महात्मा गांधी के 150वें जन्मवर्ष में उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा को अमल में लाने में बहुत कुछ सहायता मिलेगी। इस दिशा में सर्वोत्कृष्ट काम करने वाली प्रत्येक विकासखंड से एक समिति को एक लाख रुपये का पुरस्कार भी दिया जायेगा। दिसम्बर 2019 तक इस दिशा में काफी काम किया जा चुका है। प्रत्येक जिला तथा जनपद की ग्राम पंचायत में 'महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र' संचालित किया जा रहा है। आम जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली समस्त सुविधायें इस केन्द्र की कार्यसूची पर हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वचन-पत्र में बिन्दुओं की कार्यस्थिति तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित यह संक्षिप्ति मात्र है। प्रत्येक मद की उपलब्धियां विस्तारपूर्वक पृथक से प्रस्तुत की जा रही हैं।

● **घनश्याम सक्सेना**
लेखक एवं स्तम्भर

प्रियदर्शिनी ग्राम सभा

महिलाओं के स्वावलंबन से प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा

सीधी जिले के ग्राम नौगवांधीर सिंह में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर आयोजित प्रियदर्शिनी ग्राम सभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल तथा जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच श्रीमती लीला सिंह द्वारा की गयी। ग्राम सभा में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विषयों पर तथा महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित ग्राम विकास योजना तैयार करने पर चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का कार्य किया है। उनके जीवन से सीख मिलती है कि यदि महिलाओं को समान अवसर मिलें तो वे पुरुषों के मुकाबले बेहतर परिणाम देने में सक्षम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से जुड़े मुद्दों के विषय में जागरूकता के लिए सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि गरीब एवं वंचित वर्ग के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफी, कन्या विवाह तथा निकाह योजना की राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 6 सौ रुपए प्रतिमाह, तेन्दूपत्ता लाभांश की राशि में 5 सौ रुपए की वृद्धि की गयी है।

उन्होंने कहा कि लोगों को बिजली के बिल से राहत देने के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अंतर्गत 100 यूनिट के लिए केवल 100 रुपए बिजली का बिल आएगा। किसानों के 10 हार्स पावर के बिजली के बिल को आधा करने का कार्य किया गया है। अस्थायी बिजली कनेक्शन की राशि को भी आधा किया है। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज सुदृढ़ होगा। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर होंगी तो देश की नींव मजबूत होगी। आज की महिलाएं समाज में अपनी दोहरी भूमिका घर और कार्यस्थल दोनों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने गांवों के विकास में महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यह सब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ मिलकर अच्छा कार्य कर रही हैं। राजनैतिक सशक्तिकरण से सामाजिक और आर्थिक स्तर में भी सुधार हुआ है।

उन्होंने उपस्थित महिलाओं को आजीविका मिशन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के मार्केटिंग में नीति निर्धारण करने का कार्य कर रही है।

महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़कर

आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएं

देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस 19 नवम्बर को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 'प्रियदर्शनी ग्राम सभा' का आयोजन किया गया। सीधी जिले के ग्राम बरबंधा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल के मुख्य आतिथ्य में महिला ग्राम सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच श्रीमती जहरून निशा ने की। इस अवसर पर पंचायत मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश तथा महिलाओं को सशक्त बनाने में अतुलनीय योगदान दिया है। उनका पूरा जीवन गरीब और वंचित वर्ग को समर्पित रहा है। उन्होंने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी की मंशानुसार पूरे प्रदेश में महिला ग्राम सभाएँ आयोजित करके पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किये जा रहे हैं।

प्रियदर्शिनी महिला ग्राम सभा आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। जिस मुहिम की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने की है उसे आगे बढ़ाना और महिलाओं को हर क्षेत्र में प्रगति के पूर्ण अवसर प्रदान करना है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण करने का कार्य किया है। अब आवश्यकता है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो। पंचायत मंत्री ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर अभियान चलाया जाए तथा महिलाओं को आजीविका मिशन के माध्यम से समूहों से जोड़ा जाए और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए।

- **19 नवम्बर को ग्राम बरबंधा में प्रियदर्शिनी ग्राम सभा का आयोजन।**
- **महिलाओं का सशक्तिकरण करना है।**
- **महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका मिशन के माध्यम से स्व-सहायता समूहों को जोड़ा जाएगा।**

ग्राम सभा में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा उनके कल्याण से संबंधित विषयों पर तथा महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित ग्राम विकास योजना तैयार करने पर विस्तृत चर्चा की गयी। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, लोगों को गाँव में ही रोजगार मिले और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र का अधिक से अधिक भ्रमण किया जाए। लोगों को सहज रूप से योजनाओं का लाभ मिले। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। क्षेत्र भ्रमण के दौरान यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है, तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामसभा में पूर्व जनपद सदस्य दिलाशा सिंह, उपखण्ड अधिकारी आर. के. सिन्हा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिहावल अशोक तिवारी सहित ग्रामसभा के सदस्य एवं अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

छात्राओं को वितरित किए
नि:शुल्क ड्राइविंग लायसेंस

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने मंगलवार को शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी में महाविद्यालयीन छात्राओं को नि:शुल्क ड्राइविंग लायसेंस वितरित किए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आज महिलाएँ, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और कई क्षेत्रों में पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं। आवश्यकता है तो उन्हें उचित अवसर प्रदान करने और प्रोत्साहित करने की। प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है।

पंचायत मंत्री श्री पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी को दुनिया में आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने गरीबों और वंचित वर्गों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। जब भी बेटियों की तरक्की की बात आती है, तो उन्हें याद किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के जन्म-दिवस पर राज्य सरकार अपने वचन को निभाते हुए छात्राओं को नि:शुल्क ड्राइविंग लायसेंस वितरित कर रही है। उन्होंने छात्राओं को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के जीवन से शिक्षा लेकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर तरक्की करने के लिए प्रेरित किया। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने छात्राओं को रोड-सेफ्टी नियमों का हमेशा पालन करने तथा दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट-बेल्ट का उपयोग करने की समझाईश भी दी।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर डी.पी. वर्मन, जिला परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा, प्राचार्य डॉ. ए.पी. सिंह, गणमान्य नागरिक रूद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र द्विवेदी, हरिहर गोपाल मिश्रा, लालचंद्र गुप्ता, विनय सिंह, विनय वर्मा सहित महाविद्यालयों के प्राध्यापक एवं छात्राएँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक डॉ. एस.बी. सिंह द्वारा किया गया।

बघोर में "आपकी
पात्र हितग्राहियों

आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का आयोजन सीधी जिले की जनपद पंचायत सिंहावल अंतर्गत ग्राम पंचायत बघोर में किया गया। कार्यक्रम में लगभग 143 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 78 से अधिक आवेदनों को मौके पर ही हल कर दिया गया, शेष आवेदन पत्रों के निराकरण के लिये 15 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गयी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में सरकार ने आम लोगों को राहत प्रदान करने तथा लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर निराकरण के लिये 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के कारण लोगों को अब तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जिससे उनके समय, श्रम और धन की बचत होगी। पंचायत मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। गरीब और असहाय व्यक्ति अगर अपने कार्यों के लिये भटकते पाये गये, तो दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

शासन द्वारा आम लोगों के हितों की रक्षा के लिये प्रारम्भ की गयी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने वचनों को पूरा करते हुए लोगों के साथ न्याय करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 'इंदिरा गृह ज्योति

सरकार आपके द्वार'' को मिले योजनाओं का लाभ

योजना' को नए स्वरूप में लागू कर दिया है। इसमें सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। इसमें प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली की खपत होने पर केवल 100 रुपये का बिल जारी किया जाएगा। अब 150 यूनिट मासिक खपत वाले प्रदेश के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने किसानों के 10 हार्स पावर तक के बिजली का बिल तथा अस्थाई कनेक्शनों के लिए लगने वाली राशि को भी आधा कर दिया है। उन्होंने लोगों से बिजली की बचत करने तथा आवश्यकतानुसार ही उपयोग करने के लिये कहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह तथा निकाह योजना अंतर्गत सहायता राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया है, जिसमें से 48 हजार रुपये सीधे कन्या के खाते में प्रदाय की जाती है। अब इसका लाभ सामूहिक विवाह के अलावा घर से विवाह करने पर भी कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपये के कृषि ऋण माफ कर दिये हैं जिसका प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है तथा शीघ्र ही द्वितीय चरण में शेष पात्र किसानों को भी लाभान्वित किया जायेगा। इसके साथ ही सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह कर दिया है जिसे बढ़ाकर 1 हजार रुपये प्रतिमाह किया जायेगा।

- **ग्राम पंचायत बघोर में 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का आयोजन।**
- **लगभग 143 आवेदन प्राप्त। 78 से अधिक आवेदनों का मौके पर ही निराकरण।**
- **15 दिवस की समय सीमा में सभी आवेदनों का निराकरण होगा।**
- **पंचायत मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने प्रशासनिक अधिकारियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिये निर्देश ।**
- **पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिलेगा।**
- **योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही स्वीकार्य नहीं।**
- **इंदिरा गृह ज्योति योजना नए स्वरूप में लागू।**

कलेक्टर श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि ग्रामीण जनों की रोजमर्रा की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही निराकृत करने के लिए शासन द्वारा आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। लोगों को सहज रूप से शासन की योजनाओं का लाभ मिले तथा उनकी रोजमर्रा की शिकायतों का मौके पर ही निराकरण हो इसके लिए सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता और कटिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

8 स्वसहायता समूहों को 12 लाख रुपये और 15 को 3 लाख रुपए की परिवार सहायता वितरित

कार्यक्रम में विकासखंड सिहावल में संचालित 8 स्वसहायता समूहों को 75 हजार रुपये के मान से 12 लाख रुपये आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ने एवं संचालित करने हेतु प्रदान किये गये। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गरीब, अतिगरीब महिलाओं की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सामुदायिक निवेश निधि राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत 15 पात्र हितग्राहियों को 20-20 हजार रुपए के मान से 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गयी।

● राजकुमार पटेल

समारोहपूर्वक मनाया गया मध्यप्रदेश का

64वां स्थापना दिवस

मध्यप्रदेश का 64वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास एवं समारोहपूर्वक मनाया गया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी के संदेश का वाचन किया। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर पंचायत मंत्री श्री पटेल ने 'बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ' को जन आंदोलन बनाने के लिए जागरूकता रथ को गुलाबी झंडी दिखाकर रवाना किया।

235 दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित

सीधी जिले की जनपद पंचायत सिंहावल की ग्राम पंचायत बघोर में ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल द्वारा 235 दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। 13 जुलाई 2019 को शिविर के माध्यम से एलिमको द्वारा दिव्यांगों को सहायक उपकरण के लिए चिन्हांकित किया गया था। कार्यक्रम में 19 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, 10 स्मार्ट फोन, 9 स्मार्ट केन, 40 क्रचेस, 30 छड़ी, 17 व्हील चेयर, 3 ब्रेल किट, 14 श्रवण यंत्र एवं एक डेजी प्लेयर वितरित किया गया।

10 व्यक्तियों को नि:शक्तता प्रमाण-पत्र वितरित

कार्यक्रम में जिला मेडिकल बोर्ड की टीम द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की जाँच की गयी तथा 10 व्यक्तियों को नि:शक्तता प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। इसके साथ ही ग्रामवासियों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में विस्तारपूर्वक बताकर लोगों को लाभ लेने के लिये प्रेरित किया।

उक्सा में नलजल योजना का भूमिपूजन

श्री कमलेश्वर पटेल मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा जनपद पंचायत सिंहावल अंतर्गत ग्राम उक्सा में 65.64 लाख रुपए लागत की मुख्यमंत्री नलजल योजना का भूमिपूजन किया गया। योजना के प्रारम्भ होने पर लगभग 250 परिवारों को घर में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणजनों को सहज रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कहा। पंचायत मंत्री ने कहा कि जल है तो ही कल है। उन्होंने ग्रामीणजनों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष सिंहावल श्रीमान सिंह, सरपंच सुपेला सौखीलाल पटेल, अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एस.एल. चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लक्ष्मण अनुरागी, कार्यपालन यंत्री दिवाकर सिंह, सहायक संचालक मत्स्य विभाग आर. एन. पटेल, एसडीओ लवेश राठौर, जिला समन्वयक प्रमोद दुबे सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

ग्रामों में सुदृढ़ अधोसंरचना से समृद्ध मानव विकास का लक्ष्य

मध्यप्रदेश में ग्रामों को आर्थिक, सामाजिक, अधोसंरचना और स्वायत्तता के हिसाब से समृद्ध बनाने का काम किया गया है। देश में सर्वप्रथम पंचायतराज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन विधि के माध्यम से ग्राम-पंचायतों को अपने विकास का कार्य स्वयं तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो देश के इतिहास में सदैव मील के पत्थर के रूप में याद की जाती रहेगी।

मध्यप्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद से पंचायतों को आर्थिक और अधिकारिता के दृष्टिकोण से समृद्ध बनाने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि राज्य सरकार का मानना है कि जब ग्राम समृद्ध होंगे तभी राज्य समृद्ध होगा। वर्तमान सरकार ने अपने पहले वार्षिक बजट में 25 हजार 15 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण विकास और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए किया है। वित्त वर्ष की तीन-तिमाही पूरी होते-होते ग्राम विकास का रोडमैप और सरकार की मंशा दोनों अपना साकार रूप लेने लगे हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामों को सशक्त अधोसरंचना प्रदान करने के साथ ही मानव विकास गतिविधियों को भी समान्तर तरजीह दी गई है।

'सड़कें' विकास की रीढ़ हैं। सड़कों के माध्यम से ही विकास की रोशनी दूरस्थ अंचल तक पहुँच सकती है। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 500 तक आबादी वाले लगभग सभी ग्रामों को डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। गत एक वर्ष में 554 मार्ग पूर्ण कर, 3319 कि.मी. सड़कों का निर्माण कर 366 बसाहटों को सम्पर्क सूत्र से जोड़ा गया है। ग्रामीण सार्थकता परियोजना के तहत 136 करोड़ रूपये के व्यय से 2752 कि.मी. डामरीकृत और सीमेन्ट कांक्रीट सड़कों का निर्माण भी पूर्ण किया गया है। राज्य वित्त पोषित अन्य योजनाओं से 670 कि.मी. मार्ग पूर्ण कर 580 ग्रामों को जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 प्रतिशत भागीदारी के साथ 2,23,133 आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।

मध्यप्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद 'स्वच्छ भारत मिशन' में पुन: सर्वे कराकर, 2012 में छूटे 3,06,098 आवासों को चिन्हित किया गया है। इनमें आवास बनाने का कार्य प्रगति पर है। अभी तक 219 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए ग्राम में ही राजमिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी राज्य सरकार की अभिनव पहल है। प्रदेश में 19690 राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया, इनमें 9411 महिला राज मिस्त्री तैयार की गई हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। 'पंचायत दर्पण' पोर्टल के माध्यम से पंचायतों की भुगतान प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा RESOWMS, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सरल डेव्हलपमेंट विकसित की गई है।

म.प्र. अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के 5 लाख 32 हजार परिवारों को 49 हजार 815 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। इनमें से 37 हजार 97 समूहों को 232 करोड़ के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं। स्व-सहायता समूहों की रोजगार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा भोपाल हाट बाजार में 'सरस-मेलों' का आयोजन किया गया। आजीविका मिशन की महिला सदस्यों को नई-दिल्ली फूड कोर्ट में व्यंजनों की स्टाल लगाने का अवसर दिया गया।

इसके साथ ही पंचायत राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों में बढ़ोत्तरी, ग्राम स्तर पर जी.पी.डी.पी. (GPDP) तैयार कराना, ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए 8 मार्च को 'सबला-सभाओं', 19 नवम्बर को प्रियदर्शिनी सभाओं का आयोजन प्रारम्भ किया गया है। आवासीय भू-खण्ड एवं आवास आवंटन महिलाओं के नाम करने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गई है।

पर्यावरण संरक्षण के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की 66,492 शालाओं में भोजन बनाने के लिए शत-प्रतिशत शालाओं के रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इससे पेड़ों (लकड़ी) की कटाई और धुएं से होने प्रदूषण को कम से कम करने में मदद मिलेगी।

प्लास्टिक मुक्त भारत में मध्यप्रदेश की अभिनव पहल के तौर पर एम.पी.आर. आर.डी.ए. द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल के माध्यम से साढ़े सात हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। इसमें 3650 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया गया है।

जल-संसाधन एवं संवर्धन की गतिविधियाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू की गई हैं। इनमें नदी पुनर्जीवन के तहत 40 जिलों की 40 नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 953.41 करोड़ की लागत के 56,193 कार्य हाथ में लिए गये हैं विभिन्न क्षेत्रों में 40.92 करोड़ से 4674 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। साथ ही पानी के संकट का सामना कर रहे बुन्देलखण्ड अंचल को 10वीं शताब्दी तक के 'चंदेला-बुन्देला' तालाबों को पुनरुद्धार कराने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है।

● **अनिल वशिष्ट**
सहायक सूचना अधिकारी
जनसंपर्क विभाग

महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र

ग्रामवासियों की सेवा का अद्भुत संकल्प

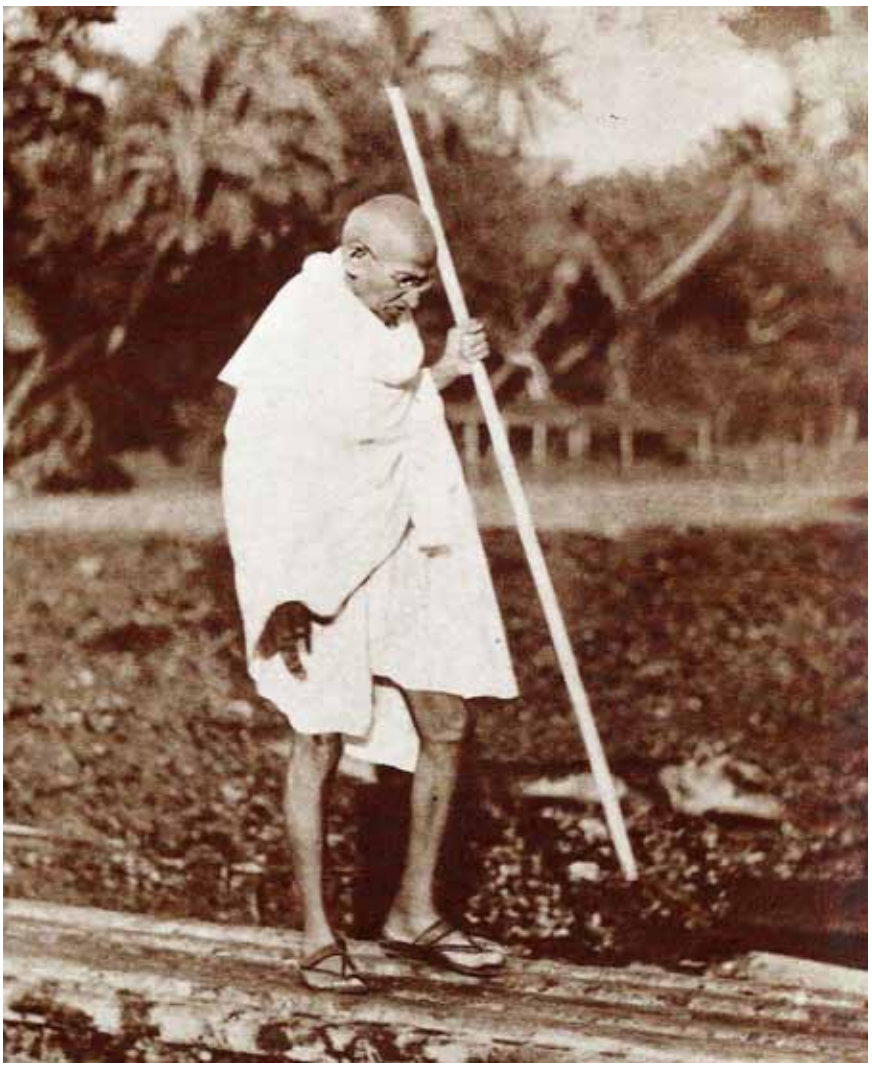

मध्यप्रदेश सरकार महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र शुरू करने जा रही है। महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप यह एक ऐसा संकल्प है जो मध्यप्रदेश के ग्राम्य जीवन की समस्याओं के निराकरण में समय, श्रम और ऊर्जा तीनों की बचत में सहायक होगा। इस सेवा के आरंभ होने के बाद ग्रामीणों को अपनी जरूरत के कागजों और दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अपने गांव में ही अथवा गांव के सबसे नजदीक यह सेवा उपलब्ध रहेगी।

मध्यप्रदेश में अभी 52 जिले और 412 तहसीलें हैं, जबकि गांवों की संख्या लगभग 50 हजार है। इन पचास हजार गांवों की व्यवस्था 22 हजार 814 पंचायतों के अधीन है। ग्रामवासियों को जिन कागजों और दस्तावेजों की अक्सर जरूरत होती है उनमें खेतों का विवरण, खसरा-खतौनी, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र। पेंशन कागजात, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि इसके अलावा शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए किसानों को कम से कम तहसील मुख्यालय तक तो जाना ही पड़ता है।

मध्यप्रदेश सरकार महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र शुरू करने जा रही है। महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप यह एक ऐसा संकल्प है जो मध्यप्रदेश के ग्राम्य जीवन की समस्याओं के निराकरण में समय, श्रम और ऊर्जा तीनों की बचत में सहायक होगा। इस सेवा के आरंभ होने के बाद ग्रामीणों को अपनी जरूरत के कागजों और दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अपने गांव में ही अथवा गांव के सबसे नजदीक यह सेवा उपलब्ध रहेगी।

50 हजार गांव और 412 तहसीलें। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि तहसीलों में काम का कितना दबाव होता है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो तहसील मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर तक पड़ते हैं। गांवों की तहसील मुख्यालय से पच्चीस-पचास किलोमीटर दूरी तो आम बात है। ग्रामवासियों को एक कागज के लिए एक से अधिक बार चक्कर लगाना होते थे। कई बार काम का दबाव और कई बार कुछ और कानून। अब महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्रों की संख्या पांच हजार होगी। इसका मतलब है कि एक सेवा केंद्र पर मुश्किल से चार-पांच गांवों

का काम। अभी तक एक तहसील पर लगभग पचास गांवों का काम हुआ करता है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि तहसील केंद्र पर काम का कितना दबाव रहता है। अब महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र खुल जाने के बाद संख्या घटकर चार या पांच होगी और गांव से दूरी भी कम। इस योजना के लिए महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र का मुख्यालय ऐसे गांव को बनाया जायेगा जो औसतन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर हो।

यह योजना मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की उस सोच के अनुरूप है जिसकी कल्पना कभी गांधीजी ने की थी। गांधी जी ने जिस 'ग्राम स्वराज' का दर्शन देश को दिया था उसमें न केवल गांव का शासन गांव से संचालित हो अपितु ग्रामवासियों की जरूरत गांवों में ही पूरी हो। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इस योजना पर ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल से चर्चा की और श्री पटेल ने अधिकारियों से बात करके योजना का प्रारूप तैयार कर लिया।

इस योजना के तहत प्रत्येक महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र आधुनिक सुविधाओं से जुड़ा होगा। कम्प्यूटर और साफ्टवेयर तहसील, और जिले ही नहीं प्रदेश मुख्यालय से भी जुड़े होंगे। इन केंद्रों में सभी विभागों के डाटाबेस रहेंगे। केंद्रों की पारदर्शिता ऐसी कि प्रत्येक ग्रामीण जन अपनी जरूरत और शासन की योजनाओं की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके।

इन केंद्रों में तीन प्रकार की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। यह भी चाहे गए प्रमाण पत्र जिनमें जन्म, मूल निवासी, मूल खसरा, खेत का नक्शा, आय प्रमाण पत्र आदि यह शुल्क के आधार पर होगा। जबकि ऊपरी सेवा और पैकिंग, रेल, बस, हवाई जहाज की टिकिट बुकिंग निशुल्क रहेगी और तीसरी सेवा शासन की विभिन्न योजनाओं, निर्णयों, कार्य, प्रगति आदि की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी।

इन केंद्रों में सिंगल विंडो, सर्विस डिलेवरी होगी ताकि ग्रामीण जन को कहीं दूसरी जगह जाना न पड़े। लेकिन ये सेवाएं नि:शुल्क नहीं होंगी, प्रत्येक दस्तावेज का कुछ शुल्क देय होगा। ग्राम पंचायत को सेवा प्रदाय के द्वारा प्राप्त शुल्क से ग्राम पंचायतों की आय में भी वृद्धि होगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर करारोपण एवं संग्रहण हेतु मजबूत तंत्र विकसित होगा, जिससे आगन्तुकों के विजिट के दौरान ग्राम पंचायतों से विभिन्न प्रकार की भौतिक तथा तकनीकी संसाधनों की संपन्नता परिलक्षित होगी।

महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र द्वारा विभाग की अन्य योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, शौचालयों की जियोटैगिंग वृक्षारोपण साइट की जियोटैगिंग, ग्रामीण आवास की जियोटैगिंग, ग्राम पंचायत विकास योजना इत्यादि के कार्यों की मॉनिटरिंग एवं ट्रांसपेरेंसी उपलब्ध होगी।

ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के माध्यम से, विभिन्न करों की वसूली हो सकेगी। कर संग्रहण से ग्रामवासियों की नैतिक जिम्मेदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे पंचायतें स्वयं के साधन से सशक्त बनेंगी, जो कि पंचायती राज अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। इससे मध्यप्रदेश में लगभग 22814 लोगों को रोजगार मिलेगा।

महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के माध्यम से डिजिटल पेमेंट एवं वित्तीय समावेशन ग्राम पंचायत स्तर पर संभव हो सकेगा। ग्राम पंचायत से जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर रिसोर्स सिस्टम में सुधार हो सकेगा।

● **डॉ. विद्या शर्मा**

प्रियदर्शिनी महिला ग्राम सभा

सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। महिला शक्ति एवं महिला स्वावलम्बन की प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जयंती अवसर पर प्रदेश भर में प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सरकार ने अपने दिये गये वचन 32.6 के अनुरूप प्रदेश के ग्रामीण मध्यप्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के समग्र चिंतन के साथ 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबला ग्राम सभा और 19 नवम्बर को प्रियदर्शिनी महिला ग्राम सभा का आयोजन किया।

यह सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। महिला शक्ति एवं महिला स्वावलम्बन की प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जयंती अवसर पर प्रदेश भर में प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

सरकार ने अपने दिये गये वचन 32.6 के अनुरूप ग्रामीण मध्यप्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के समग्र चिंतन के साथ 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबला ग्राम सभा और 19 नवम्बर को प्रियदर्शिनी महिला ग्राम सभा का आयोजन किया।

यह ग्राम सभा अन्य ग्राम सभाओं से खास भी थी और विशेष भी। इसमें ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण सभी मुद्दों का व्यवहारिक पक्ष रखा गया और कार्य को गति दी गयी।

प्रदेश भर में प्रियदर्शिनी महिला ग्राम सभा के आयोजन में विशेष रूप से कक्षा 10वीं तथा कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त बालिकाओं का सम्मान किया गया और उन्हें पुरस्कृत किया गया। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया।

महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित ग्राम विकास योजना तैयार करने के साथ महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास और उनके कल्याण से संबंधित विचारों पर विस्तृत चर्चा की गयी। आयोजन में जो गतिविधियां शामिल रहीं उनमें पंचायत सखी और युवा शक्ति समिति का चयन किया जाना प्रमुख है।

ग्राम सभा की अध्यक्षता महिला सरपंच, महिला उपसरपंच, वार्ड की महिला पंच और वरिष्ठ महिला सदस्यों ने की।

प्रियदर्शिनी महिला ग्रामसभा आयोजन के लिए आयुक्त सह सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री संदीप यादव द्वारा जारी निर्देशानुसार निम्न बिन्दुओं को शामिल किया गया:-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विषय

- मनरेगा अंतर्गत रोजगार नियोजन में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी पर चर्चा।
- मनरेगा अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राही चयन में महिला मुखिया को प्राथमिकता दिये जाने पर चर्चा।
- मनरेगा कार्यों में महिला स्व-सहायता समूह को क्रियान्वयन एजेंसी बनाये जाने पर चर्चा।
- शौचालय का उपयोग बढ़ाने में महिलाओं का योगदान एवं उपलब्धि पर चर्चा।
- ग्राम में साफ-सफाई एवं स्वच्छता के संबंध में चर्चा।
- स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, जिन्होंने सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित कर स्वयं को आदर्श के रूप में स्थापित किया है, उन्हें सम्मानित कर ग्राम सभा में प्रेरक उद्बोधन देने का अवसर दिया जावे।
- महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्व-सहायता समूह निर्माण पर चर्चा। संचालित स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों पर चर्चा। जो परिवार अभी तक स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित नहीं हुए हैं उन्हें स्व-सहायता समूह के रूप में गठित करना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु महिला राजमिस्त्रियों का चयन।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग में महिला पंच एवं विद्यार्थियों की माताओं की भूमिका पर चर्चा।
- बालिकाओं एवं स्त्रियों के आउटडोर खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा।

महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विषय

- बालिकाओं को जन्म लेने, शिक्षा पाने, सुरक्षित रहने और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार मिले यह मध्यप्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बेटी केंद्रित कई योजनाएं जैसे बेटी बचाओ अभियान, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाडो अभियान, सशक्त वाहिनी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के संबंध में चर्चा।
- प्रत्येक नवविवाहित महिला-दंपत्ति को PC PNDT Act के बारे में बताना, गर्भवती के शीघ्र पंजीयन को बढ़ावा, गर्भावस्था के 9 माह में 4 चेकअप अनिवार्य करवाना, शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव के संबंध में चर्चा।
- बेटियों के जन्म का उत्सव मनाने के संबंध में चर्चा।
- प्रत्येक मंगल दिवस पर आंगनवाड़ियों में महिलाओं तथा बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा।
- गुड्डा-गुड्डी बोर्ड पर चर्चा।
- एक बालिका अथवा दो बालिकाओं पर परिवार नियोजन कराने वाले परिवार का सम्मान करना।
- आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में सभी बालिकाओं का प्रवेश और नियमित शिक्षा, स्कूलों में कार्यशील शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा।
- बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिलवाने पर चर्चा।
- बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी विचार-विमर्श कर संकल्प पारित करना।
- बेटियों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विशिष्ट कार्य करने वालों के सम्मान पर चर्चा।
- विशेष कार्य करने वाली प्रतिभाशाली बेटियों के सम्मान पर चर्चा।
- विधवा विवाह करने एवं कराने वालों पर चर्चा।
- किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका दिवस का सभी को लाभ दिलवाये जाने पर चर्चा।
- महिलाओं को तकनीकी कौशल प्रशिक्षण दिलवाने पर चर्चा।
- पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी देना।
- बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन पर

विचार व संकल्प।

- सभी महिला प्रमुख परिवारों को पात्रतानुसार शासकीय योजनाओं से लाभांवित होने की समीक्षा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित विषय

- शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 5वीं में अध्ययनरत (5-10 वर्षीय) छात्र-छात्राओं को आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली एवं कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत (10-19 वर्षीय) छात्र-छात्राओं को आई.एफ.ए. की नीली गोली प्रत्येक मंगलवार को सेवन कराने के संबंध में चर्चा।
- 6 से 60 माह के बच्चों को आई.एफ.ए. सीरप (प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार) एवं 5 से 19 वर्षीय शाला त्यागी तथा शाला अप्रवेशी बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार को उम्र अनुसार आई.एफ.ए. गोलियों का साप्ताहिक सेवन कराने के संबंध में चर्चा।
- महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण दूर करने के उपायों पर चर्चा।
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण आहार, समय-समय पर

स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक टीकाकरण के संबंध में चर्चा।

- किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार तथा उनके स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा।
- गर्भधारण से लेकर प्रसव उपरांत 1000 दिवस तक मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल के संबंध में चर्चा।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग से संबंधित विषय

- कल्याणी पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, अविवाहित महिला पेंशन, विधवा पेंशन तथा कन्या अभिभावक पेंशन एवं बहुविकलांग पेंशन सहित महिलाओं एवं असहाय व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न पेंशन योजनाओं एवं अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रमों की जानकारी उपस्थित महिलाओं को देना।
- विभिन्न पेंशन योजनाओं एवं अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में छूटी हुई पात्र महिला लाभार्थियों के आवेदन पत्र भरवाना।
- वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के नाम की सूची का वाचन करना तथा अपात्रों का नाम हटाने संबंधी कार्यवाही।
- मुख्यमंत्री कन्यादान तथा निकाह योजना के आयोजन हेतु कार्ययोजना बनाना।
- महिला उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर चर्चा।
- ग्राम को नशामुक्त करने के संबंध में महिलाओं के योगदान पर चर्चा।
- मुख्यमंत्री कन्यादान तथा निकाह योजना की सहायता राशि 28,000/- रुपये से बढ़ाकर 51,000/- रुपये होने की जानकारी एवं चर्चा।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 600/- रुपये प्रतिमाह होने के संबंध में चर्चा।

प्रियदर्शिनी महिला ग्राम सभाओं के आयोजन की विशेष गतिविधि

मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व-सहायता समूहों ने महिला स्वावलम्बन की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किये हैं। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्वावलम्बन के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सखी का चयन किया जायेगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी की मंशा और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश की ग्रामीण आजीविका मिशन के शामिल जिलों में प्रियदर्शिनी ग्राम सभाओं में पंचायत सखी का चयन किया गया।

पंचायत सखी का चयन

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में शामिल जिलों में पंचायत स्तर पर स्व-सहायता समूह और पंचायत के मध्य समन्वय के लिए हर पंचायत में पंचायत सखी का चयन किया गया है। यह पंचायत सखी पंचायत भवन में बैठते हुए स्व-सहायता समूह और पंचायत के मध्य समन्वय का कार्य करेंगी। मनरेगा और पंचायत के कार्यों के लिए स्व-सहायता समूह और पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हुए सहयोग करेंगी। पंचायतों में ऑनलाइन आवेदन भरना, बिल भरना इत्यादि कार्य कम्प्यूटर की मदद से करेंगी। प्रशिक्षित पंचायत सखी बैंक संबंधी कार्य (Business Correspondent की तरह) करेंगी। उल्लेखनीय है कि स्व-सहायता समूह या फिर समूह के परिवार की कोई भी महिला जो 12वीं पास हो, कम्प्यूटर, पीओएस मशीन पर कार्य करना आता हो और प्रशिक्षण देने में

सक्षम हो, पंचायत सख्री बन सकती है।

युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन

प्रियदर्शिनी ग्राम सभा में गांवों के सर्वांगीण विकास के लिये ग्राम पंचायत तथा शासकीय विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने और समन्वय स्थापित करने के लिए युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया। इस समिति में कुल 11 सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 05 वर्ष का होगा। समिति के सदस्यों का चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा किया गया, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद जिला कलेक्टर द्वारा पंचायतवार आदेश जारी किये गये।

पात्रता

- आयु 01 जनवरी 2019 की स्थिति में 35 वर्ष से कम हो।
- **शैक्षणिक योग्यता :** कम से कम 06 सदस्य स्नातक उत्तीर्ण हों, शेष 05 सदस्य हायर सेकेण्ड्री अथवा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हों।
- दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां शैक्षणिक स्तर कम है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) उत्तीर्ण निर्धारित की जाती है।
- ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है।
- त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- समिति में न्यूनतम 03 सदस्य महिला होंगी तथा अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग से ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा।
- समिति के सदस्यों का चयन जनपद पंचायत द्वारा प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से किया जावेगा।
- ग्राम पंचायत के सचिव समिति के समन्वयक होंगे।

युवा ग्राम समिति बनाने का उद्देश्य

- गांव के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से श्रमिक, पेंशनधारी, दिव्यांग जन, निराश्रित वृद्धजनों के कल्याण की योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में समिति के सदस्य सहयोग करें।
- ग्राम के युवाओं में नेतृत्व गुणों का विकास हो, ग्रामीण युवाओं को खेलकूद, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता को बढ़ावा मिले।
- युवा ग्राम समिति के माध्यम से ग्रामवासियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों की रोकथाम की जाये जैसे- नशा मुक्ति, बाल विवाह, जुआ सट्टा आदि।
- ग्रामीण पर्यावरण एवं स्वच्छता के लिये ग्रामवासियों को श्रमदान के लिए प्रेरित करना।
- ग्राम पंचायत की स्वयं की आय में वृद्धि और विकास के लिये विभिन्न करों एवं शुल्क जैसे - सफाई, जलकर, प्रकाशकर, भवन अनुज्ञा शुल्क, सम्पत्तिकर को जमा करने के लिये प्रेरित करना।
- ग्रामवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्धता शत-प्रतिशत टीकाकरण, कचरे का प्रबंधन, खुले में शौच की रोकथाम करना।
- कृषि उद्यानिकी एवं पशुपालन की उन्नत एवं आधुनिक तकनीक को ग्राम में बढ़ावा देना।
- इंटरनेट, मोबाइल एप से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामवासियों को जागरूक करना जैसे- बैंक खाते से राशि का अंतरण, विद्युत बिल, फीस, टी.व्ही. रिचार्ज आदि का भुगतान, वोटर आई कार्ड बनवाना अथवा संशोधन कराने जैसी गतिविधियों को जागरूक करना।
- सोशल मीडिया, वाचनालय, संचार साधन गोष्ठी एवं टी.व्ही. पर प्रेरणादायक फिल्मों के माध्यम से ग्रामवासियों के बीच उत्कृष्ट घटनाओं को प्रदर्शित करना।
- ग्रामवासियों के बीच शांति सद्भाव बनाये रखने के लिये प्रेरणा देना, जागरूक करना।
- SECC सर्वे 2011 के आधार पर एवं अन्य शासकीय योजनाओं में लाभांवित होने वाले हितग्राहियों में अपात्र हितग्राही को चिन्हित करना और जनपद पंचायत तथा संबंधित विभाग को सूचना देना।

उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष प्रत्येक विकासखण्ड से एक समिति को उत्कृष्ट कार्य संपादित करने पर एक लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। समिति के सदस्यों की जानकारी सभी संबंधित विभागों के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

● रीमा राय

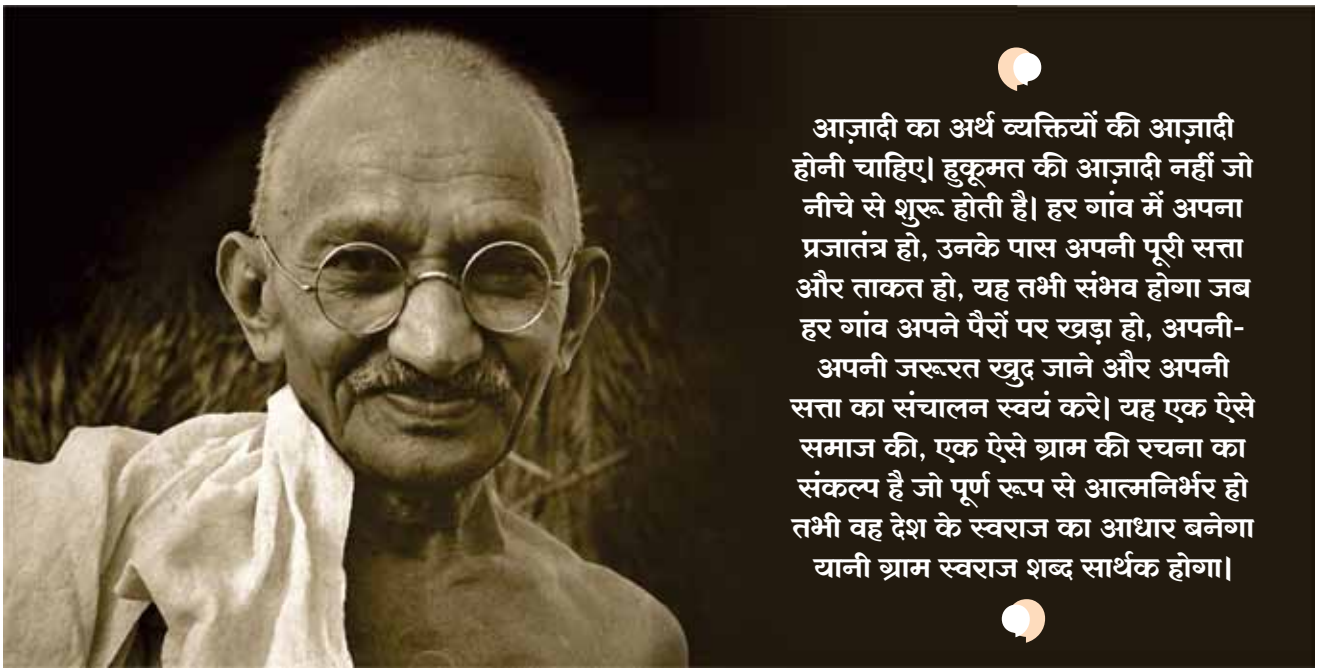

मध्यप्रदेश में गांधीजी के ग्राम स्वराज को अमल में लाने का संकल्प और परिणाम

गांधीजी का मानना था कि वास्तव में भारत आजाद तभी होगा जब ग्राम स्वराज कायम हो। ग्रामीण अपने विकास के बारे में स्वयं सोचें, स्वयं निर्णय लें और स्वयं क्रियान्वित करें। उन्होंने लिखा है सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे गांव के लोगों को चलाना होगा। गांधी जी की इसी कल्पना और स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए श्री राजीव गांधीजी के प्रधानमंत्रित्व काल में संविधान में संशोधन हुआ और मध्यप्रदेश में श्री दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में गांधीजी की कल्पना के अनुरूप ग्राम स्वराज को आकार मिला। अब 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार ने अपनी रीति-नीति के अनुरूप त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश में वर्तमान सरकार ने गांधीजी की कल्पना और वर्ष 1993 से 2001 के बीच किये गए प्रावधानों के अनुरूप ग्राम सभाओं को सशक्त कर ग्राम स्वराज को लाने का वचन दिया था। सत्ता संभालने के मात्र 40 दिनों के भीतर 26 जनवरी को बाकायदा आयोजन के साथ इस अभियान को शुरू कर दिया गया। वर्तमान सरकार ग्राम स्वराज शब्द को सार्थक करने और व्यवहार में लाने के संकल्प के साथ सत्ता में आई। सत्ता में आते ही बिना किसी विलम्ब के संकल्प को पूर्ण करने के प्रयास किये गये। अपनी पार्टी के वचन और मुख्यमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में विभागीय अमला पूरी ताकत के साथ काम में जुट गया। आज परिणाम सबके सामने है। वचन-पत्र के बिन्दु क्रमांक 32.13 के अनुसार प्रदेश के लोगों ने मिलकर स्वयं अपनी विकास योजना तैयार की है।

हमें हर हाल में पंचायती राज का सपना पूरा करना है। पंचायती राज ही वास्तव में सच्चा ग्राम स्वराज है। प्रत्येक ग्रामवासी का अपना घर हो, वह रोजगार से जुड़े, वह कर्जमुक्त होकर स्वाभिमानपूर्वक जी सके। जब वह अपनी पूरी क्षमता से ग्राम के उन्नयन में, राष्ट्र के उन्नयन में योगदान देगा तभी मध्यप्रदेश का विकास सार्थक होगा।

- कमल नाथ
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए पंचायत राज व्यवस्था का स्वप्न देखा था। पंचायत से उनकी अपेक्षा थी कि वे बच्चों को शिक्षा, गांव की सफाई, स्वास्थ्य, पानी की व्यवस्था, अस्पृश्यों की स्थिति और दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। गांधीजी का कहना था कि पंचायतों के साथ सभी गांव वाले मिलजुलकर अपने गांव के विकास और व्यवस्था में सहयोग करें। गांधीजी के इसी विचार और स्वप्न को आकार देते हुए स्व. प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण को अमल में लाया। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा देश में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। मध्यप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह द्वारा सबसे पहले मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया।

प्रदेश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण और गांधीजी की कल्पना अनुरूप 'सबकी योजना सबका विकास' लोक योजना अभियान चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक चलने वाले इस अभियान में ग्रामसभा के माध्यम से पंचायत राज व्यवस्था अमला और ग्रामीण मिलजुलकर 2020-21 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा रही है। यह विकास योजना संविधान की 11वीं अनुसची में शामिल 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों की योजनाओं को समाहित कर बनायी जा रही है। जिसके अंतर्गत 17 लाइन विभागों की योजनाओं और गतिविधियों को शामिल किया गया है।

चरण 1 : मिशन
अन्त्योदय सर्वेक्षण

पंचायतों और ग्रामों की वर्तमान स्थिति जानने के लिए मिशन अन्त्योदय अंतर्गत 146 बिन्दुओं पर सर्वेक्षण किया गया है। वर्तमान स्थिति में प्रत्येक पंचायत और ग्राम के लिए यह आंकड़ा उपलब्ध है। इसे वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। यह सर्वेक्षण फेसिलिटेटर द्वारा किया जाता है। इस हेतु फेसिलिटेटर का चयन जिला तथा विकासखंड स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण के लिये https://missionantyodaya.in/ma2019/loginpage2019.html वेबसाइट पर जाकर सर्वेक्षण को अपलोड करने का कार्य किया जाता है।

मुख्य बिन्दु

- मिशन अंत्योदय मोबाइल एप के माध्यम से शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों का सर्वे।
- प्लान प्लस- वर्ष 2018-19 में प्रदेश की ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश की सभी 22814 पंचायतों में विकास योजना बनाये जाने के लिए नीति बनाई गई। इस प्लान की भी कार्ययोजना को प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में भी 31 दिसम्बर 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों के वर्ष 2020-21 के प्लान तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किये जा रहे हैं। यह योजना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का बेसलाइन सर्वे कर उसके आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण।
- पंचायत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को संस्थागत एवं गैर-संस्थागत दूरस्थ पद्धति के माध्यम से प्रशिक्षण।

हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। बापू की कल्पना अनुरूप हमने अपने वचन-पत्र में ग्राम स्वराज को लाने का वचन दिया था। पिछले एक वर्ष में इसी दिशा में कार्य किया गया। प्रदेश के ग्रामों के विकास का निर्णय ग्रामसभा में लिया गया। गांवों की आवश्यकता, क्षमता और मेधा के अनुसार ग्रामीणों के साथ मिलकर ग्रामीण विकास की योजना आकार ले रही है।

- कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

चरण 2 : प्रत्येक पंचायत के लिए फेसिलिटेटर की नियुक्ति

इस बार के ग्राम पंचायत योजना अभियान में प्रत्येक पंचायत हेतु एक सहजकर्ता (फेसिलिटेटर) की नियुक्ति की गयी है। सहजकर्ता द्वारा पंचायतों में मिशन अन्त्योदय सर्वेक्षण करने का कार्य किया गया।

फेसिलिटेटर के कार्यों में

सर्वेक्षण करना, विशेष ग्राम सभा आहूत करवाना, सर्वेक्षण से निकल कर आई कमियों का विश्लेषण कर ग्राम सभा में प्रस्तुत करना, मुख्य विभागों से समन्वय कर उनके प्रस्तुतिकरण में मदद करना, ग्राम सभा के दौरान अपनी रिपोर्ट www.gpdp.nic.in पर अपलोड करना, ग्राम सभा का जियो-टैग फोटो अपलोड करना आदि शामिल है।

चरण 3 : प्रशिक्षण

फेसिलिटेटर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाली GPPFT दलों का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक विकासखंड से 4-5 मास्टर ट्रेनर्स को चिन्हित कर प्रशिक्षित किया जाता है। यह मास्टर ट्रेनर, पंचायत स्तर के फेसिलिटेटर को प्रशिक्षण देते हैं।

चरण 4 : वातावरण निर्माण गतिविधियां

सामाजिक गतिशीलता और ग्राम सभा में आने के लिए डोंडी की जाती है, पत्र दिये जाते हैं। लेखन, बैनर, पोस्टर्स, नुक्कड़ नाटक, रैली व अन्य जागरूकता कार्यक्रम किये जाते हैं। कुल-मिलाकर योजना निर्माण में सभी का सहयोग होना जरूरी है और हर एक को लगना चाहिए कि इस योजना निर्माण में मेरा भी सहयोग है।

चरण 5 : ग्राम पंचायत स्तर पर योजना व सहयोग दल (GPPFT) का गठन

पंचायतों के सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम विकास योजना निर्माण के लिए प्राथमिक दल का गठन किया जाता है। इस दल में से वर्गीकृत करके भिन्न-भिन्न वार्ड योजना दल या ग्राम विकास योजना सहयोग दल का गठन किया जाता है। प्रत्येक ग्राम में यह दल विषय वार अलग-अलग क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं। इन दलों में शिक्षा व साक्षरता दल, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल दल, कृषि एवं आजीविका दल, सामाजिक सुरक्षा दल, तथा अधोसंरचना व विविध कार्य आदि सभी दल वातावरण निर्माण से लेकर योजना निर्माण तक पंचायत की सभी गतिविधियों में सहयोग करते हैं।

चरण 6 : प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण व परिस्थिति विश्लेषण

पंचायतों के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल व आजीविका जैसे मुद्दों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। प्राथमिक आंकड़े वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण किये जाने से मिलते हैं जैसे PRA, ट्रांसेक्ट वाक, समूह चर्चा इत्यादि, वहीं द्वितीयक आंकड़े जैसे किसी राष्ट्रीय सर्वेक्षण या अन्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े जैसे CENSUS, SECC, Department Data इत्यादि। इनके आधार पर पंचायत की सामाजिक, आर्थिक व मानव विकास की स्थिति पता लगती है जैसे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का स्तर, हर मौसम में क्षेत्र का मुख्य मार्गों से जुड़ाव, युवाओं में पढ़ाई का स्तर व रोज़गार की स्थिति, बच्चों, महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति इत्यादि। इसी आधार पर ग्राम पंचायत की विकास स्थिति-रिपोर्ट बनायी जाती है।

चरण 7 : पंचायत के विजन का निर्माण

परिस्थिति विश्लेषण के आधार पर पंचायतें व उनके ग्राम अपने-अपने विजन तथा लक्ष्य का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया अन्य प्रक्रियाओं से अलग होती है और इसमें ग्राम, पंचायत और क्षेत्र को अगले 5-10 वर्षों में कहां ले जाना है इस पर फोकस होता है तथा यह पंचायत के लोगों की आकांक्षाओं का दस्तावेज होता है। इसमें ग्रामों की मुख्य समस्याओं, आकांक्षाओं की पहचान कर उन्हें समाधान करने और पाने के विभिन्न विकल्पों पर समुदाय द्वारा आपसी चर्चा की जाती है जिसमें समुदाय आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां तय करता है।

चरण 8 : पंचायत के संसाधनों का आकलन

ग्राम विकास नियोजन प्रक्रिया से पहले सम्बंधित ग्राम पंचायत के बजट को जानना बहुत आवश्यक है, जिससे योजना निर्धारण के समय राशि का अनुमान लगाकर अगले साल के खर्च का अनुमान लगाया जाता है।

चरण 9 : कार्य योजना निर्माण

इस बार की कार्ययोजना पिछले वर्षों की तुलना में भिन्न है, इस बार एक ओर जहाँ सहभागिता पर विशेष ज़ोर दिया गया है वहीं विभागों के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक योजनाओं की जानकारी और पात्रता के बारे में भी ज़ोर दिया जा रहा है। इस वर्ष आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों और उनके ग्राम संगठनों की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान में विशेष ग्राम सभा आहूत की गयी है जिसमें मॉडल प्रारूप का ध्यान रखा गया है।

ग्राम में विकास के मुद्दों (परिस्थिति विश्लेषण) पर विस्तृत चर्चा के बाद के ग्राम पंचायत के संसाधन (रिसोर्स एन्वेलप) को देखते हुए गतिविधियों का प्राथमिकीकरण किया गया है। क्षेत्रवार गतिविधियों को लेते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की गयी है इसमें उपलब्ध वित्तीय संसाधन और समय-सीमा को आवश्यक रूप से शामिल किया गया है। योजना निर्माण करते समय गरीबों, वंचितों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम समूहों के क्षेत्रों वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। गतिविधियों की संभावित लागत को लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा

योजना और क्षेत्रकों के नाम लिखे जाएं। जिन गतिविधियों को समुदाय के स्तर पर पूर्ण किया जाना है ऐसी गतिविधियों को सामुदायिक गतिविधियों में लिया गया है।

निम्न मुख्य अवयव हैं निर्मित कार्ययोजना के

- **सामुदायिक कार्य योजना** - इसमें समुदाय के माध्यम से की जाने वाली कम बजट या शून्य बजट गतिविधियां ली जाती हैं।
- **मूलभूत सेवाओं के कार्य** - 14वें वित्त के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के कार्य हेतु किया जाना है।
- **राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के कार्य**
- **विभिन्न विभागों के कार्य**

वर्तमान में उपलब्ध प्लान प्लस पोर्टल आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी जगह की कार्ययोजना पूर्ण हो पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं।

प्लान प्लस पोर्टल

भारत सरकार द्वारा योजना निर्माण में इस पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। यह पोर्टल आपको किसी भी समय और कहीं भी आपकी योजना और उसकी प्रगति को देखने और विश्लेषण करने हेतु सुविधा देता है। इसके माध्यम से राज्य सरकार भी पंचायतवार संसाधनों की जानकारी जन-जन तक पहुंचा सकती है। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के वित्त की जानकारी इसमें डाल दी गयी है। इसमें गतिविधि निर्माण, संसाधनों का आवंटन और उसका अनुश्रवण सम्बद्ध हैं। इसे आप वेबसाइट www.planningonlive.gov.in पर देख सकते हैं।

● **पंचायिका डेस्क**

पंचायत प्रतिनिधियों की विकास राशि में वृद्धि

इस सरकार ने अपने वचन-पत्र में दिए गए वचन अनुसार पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य किया है। इसी कड़ी में सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की विकास राशि में वृद्धि की और वचन-पत्र में दिए गए वचन को पूर्ण किया। पंचायत प्रतिनिधियों को दी जाने वाली राशि में जिला पंचायत अध्यक्ष की विकास राशि को दोगुना करते हुए 25 से बढ़ाकर 50 लाख, उपाध्यक्ष को 15 से बढ़ाकर 20 लाख, जिला पंचायत सदस्य को 10 से बढ़ाकर 15 लाख, जनपद पंचायत अध्यक्ष को 12 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख और जनपद सदस्य को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक के विकास कार्य करने के अधिकार दिए गए।

मध्यप्रदेश में नई सरकार द्वारा सत्ता की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार ने ग्रामीण, युवा और किसानों के विकास के लिए ऐतिहासिक फैसले लेकर इसका क्रियान्वयन किया है। अपने वचन पत्र में दिये गये वचनों को तीव्र गति से पूर्ण करने का उपक्रम सबके सामने है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला महिला ग्राम सभा और प्रियदर्शिनी महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश विकास में पंचायतें अहम भूमिका निभा सकती हैं। वर्तमान सरकार ने अपने वचन-पत्र में पंचायतों के सशक्तिकरण का वचन दिया था जिसे पूर्ण करने का आरंभ 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर धार से किया गया। इसी कड़ी में भोपाल में 23 फरवरी को पंचायत प्रतिनिधियों तथा उत्कृष्ट स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच, पंच, प्रदेश की जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सचिव शामिल हुए। इसके अतिरिक्त प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत गठित उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्व-सहायता समूह के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। आयोजन में लगभग 35 हजार प्रतिनिधि शामिल हुए।

मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत राज संस्था

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना 2018 से शुरू की गयी है। इसके तहत पंचायत पदाधिकारियों एवं कर्मचारी अमले का प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन एवं क्षमतावर्धन, आकांक्षी जिलों की ग्राम पंचायतों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है।

देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत वर्चुअल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना अंतर्गत पंचायत राज संचालनालय द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण का क्रियान्वयन वाल्मी द्वारा आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के सहयोग से किया गया। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 410 वर्चुअल केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों में पंचायती अमले और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चले इस वर्चुअल प्रशिक्षण में लगभग 35 हजार प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रदेश के सभी विकासखण्डों में सम्पन्न इस प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेश की सभी 22814 पंचायतों से प्रतिनिधि शामिल हुए। देश में पहली बार पंचायत के जमीनी स्तर के कर्मचारियों को बड़ी संख्या में सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थात् दूरस्थ पद्धति से प्रशिक्षित किया गया। दूरस्थ पद्धति से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग की अहम भूमिका रही। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रदेश भर में 410 वर्चुअल केन्द्र हैं। जहाँ उनकी वर्चुअल क्लासेस लगती हैं। इन्हीं केन्द्रों के माध्यम से सभी 313 विकासखण्डों में प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया। संपूर्ण प्रशिक्षण में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) तथा स्वान (SWAN) का तकनीकी सहयोग रहा। इस प्रशिक्षण में लगभग 35 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी, जनपद पंचायत के सहायक लेखा अधिकारी, जनपद पंचायत के लेखापाल तथा सभी विकासखण्डों से खण्ड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वयक और सभी 22814 पंचायतों से ग्राम पंचायत सचिव तथा रोज़गार सहायकों ने भाग लिया। योजनान्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु तीनों स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले का प्रशिक्षण की कार्ययोजना बना ली गई है ताकि वे सर्वांगीण विकास में सहभागी बन सकें। प्रशिक्षण की कार्ययोजना वर्ष 2019-20 का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन : 42000 प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है।

वर्चुअल क्लास के माध्यम से कार्यकारी अमले का प्रशिक्षण : 36000 कार्यकारी अमला दिया जा चुका है।

संस्थागत प्रशिक्षण : जीपीडीपी, प्लान पलस, प्रिया सॉफ्ट के तकनीकी प्रशिक्षण में 626 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, इसके अलावा

ओं के सशक्तिकरण का वचन किया पूरा

जीपीडीपी प्लान प्लस 1500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

22814 ग्राम पंचायतों में फेसीलिटेटर, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं 313 जनपदों के तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रदर्शन भ्रमण सह प्रशिक्षण (एक्सपोजर विजिट) : त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, कार्यकारी अमले को राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर प्रदर्शन भ्रमण सह प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना बनाई जा चुकी है जिसके अंतर्गत राज्य के अंदर उत्कृष्ट पंचायतों तथा कार्यों का भ्रमण एवं राज्य के बाहर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में उत्कृष्ट पंचायतों, कार्यों का भ्रमण तथा निरीक्षण कराया।

पेसा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा को सशक्त बनाने एवं पेसा एक्ट की गतिविधियों एवं प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु विशेष पैकेज के तहत पेसा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा मोबिलाइजर नियुक्त करने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं साथ ही योजना के प्रावधान अनुसार पेसा जिलों एवं जनपदों में पेसा क्षेत्र समन्वयक की पदस्थापना आउटसोर्स के माध्यम से की जावेगी।

योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए दिशा निर्देशानुसार राज्य स्तर पर कार्यक्रम निगरानी इकाई का गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत राज्य स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य कार्यक्रम इकाई (एसपीएमयू), जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) एवं जनपद स्तर पर जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित की जायेगी। अमले की स्थापना हेतु तात्कालिक रूप से आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अतः राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को सशक्त बनाये जाने की कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा चुका है कार्यवाही लगभग पूर्ण है।

त्रि-स्तरीय पंचायत राज से जुड़े प्रदेश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु कार्य योजना बनाई जा चुकी है। जिसके लिये एसआईआरडी जबलपुर अंतर्गत इफको (EFCO) को कार्य आदेश दिये जा चुका है। इफको द्वारा एसआईआरडी जबलपुर, संजय गांधी संस्थान पचमढ़ी एवं इनसे संबद्ध ETC (6)/PTC (7) के उन्नयन हेतु पृथक से कार्ययोजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत संस्थानों का संरचनागत ढांचा, अधोसंरचनात्मक उन्नयन एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन सामग्री का विकास किया जावेगा। प्रस्तावित अधोसंरचनात्मक उन्नयन के साथ-साथ प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक संसाधन जैसे वर्चुअल क्लास रूम, कम्प्यूटर उपलब्ध कराकर उनकी क्षमता वृद्धि की जायेगी। साथ ही प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त संकाय सदस्यों के पदों पर विभागीय प्रतिनियुक्त, संविदा, आउटसोर्स से पूर्ति किये जाने की कार्ययोजना बनाई गई है।

● **हेमलता हुरमाड़े**

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना

वर्तमान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की दिशा में तेज गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए पंच परमेश्वर योजना का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना किया। गांधीजी की कल्पना के अनुसार ग्राम पंचायतों की मंशानुरूप यह परिवर्तन किया गया है। इस योजना में जो मुख्य परिवर्तन हुए उनमें पक्के निर्माण कार्यों में 50 प्रतिशत सी.सी. सड़क पर व्यय करने की अनिवार्यता समाप्त कर कुल व्यय सीमा 75 प्रतिशत की गयी। गौशाला निर्माण कार्य को इसमें शामिल किया गया है। योजना के तहत प्रभावी मनरेगा अभिसरण तथा सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्यता, बिल वाउचर संधारण अनिवार्यता तथा कुछ विशेष कार्यों के लिये राज्य स्तर की अनुमति को समाप्त कर दिया गया है।

पंचायत राज संचालनालय द्वारा वर्ष 2017-18 की 14वें वित्त आयोग, परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि जारी कर दी गयी है। इस राशि का उपयोग पंचायतें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिये करेंगी। इस संबंध में 8 मार्च 2019 को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना के तहत किये जाने वाले कार्य

नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य

- सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण।
- गौ-शाला निर्माण।
- रपटा, पुलिया निर्माण (ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र, शासकीय भवनों तथा श्मशानघाट, कब्रिस्तान को आबादी क्षेत्र से जोड़ने वाले रास्तों पर)
- बाउण्ड्रीवॉल निर्माण - पंचायत भवन, कब्रिस्तान, श्मशानघाट, स्कूल, आंगनवाड़ी, शासकीय भवन, सामुदायिक भवनों में।
- कांजी हाउस।
- पुस्तकालय भवन।
- बाजार चबूतरे, दुकान निर्माण, ग्राम चौपाल के लिए चबूतरा निर्माण।
- यात्री प्रतीक्षालय निर्माण।
- पेवर ब्लॉक सड़क।
- सामुदायिक शौचालय, शासकीय भवनों में महिला, पुरुष शौचालय निर्माण।
- एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट (ऊर्जा विभाग के स्पेसिफिकेशन अनुसार)।
- सार्वजनिक पार्कों का निर्माण। पार्क में पेवर ब्लॉक, बैंच फुटपाथ, लाईट तथा पानी की व्यवस्था।
- नि:शक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण निर्माण- रैंप आदि।

पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्य

- ऐसी नल-जल योजनाएं जो ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्थापित की गयी हैं उनका संधारण।
- ऐसी नल-जल योजनाएं जिन्हें पी.एच.ई. द्वारा स्थापित कर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है उनका संधारण।
- पेयजल प्रदाय हेतु पाइपलाइन विस्तार।
- पेयजल हेतु उपयोग होने वाली सिंगल फेस मोटर पी.एच.ई. द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, किंतु अति आवश्यक होने की स्थिति में यदि संबंधित जनपद पंचायत के अनुविभागीय अधिकारी (पी. एच.ई.) सिंगल फेस मोटर उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र देते हैं, तो ग्राम पंचायतें पी.एच.ई. द्वारा निर्धारित मानक की सिंगल फेस मोटर क्रय कर सकती है।
- पेयजल एकत्रित करने हेतु भू-स्तर टंकी निर्माण, रेडीमेड टंकी क्रय।
- आर.ओ. वाटर प्लांट स्थापित किये जाने की स्थिति में अंशदान।
- पशुओं के पानी पीने हेतु संरचना निर्माण।

संधारण कार्य

- पंचायत भवन मरम्मत तथा अन्य शासकीय भवनों की मरम्मत, पुताई, बिजली फिटिंग।
- शासकीय एवं पंचायत के भवनों में शौचालय निर्माण, संधारण।
- स्टापडेम तथा चेकडेम मरम्मत, गेट सुधार।
- ग्राम पंचायत की साफ-सफाई का कार्य।
- साफ-सफाई से संबंधित सामग्री क्रय।
- पुराने पेयजल कूपों, बावड़ियों का सुधार।
- पंचायत के स्वामित्व वाले टैंकर की मरम्मत, टायर-ट्यूब बदलना।
- घाटों की पुताई एवं साफ-सफाई।

कार्यालयीन व्यय

- पंचायत भवन में फर्नीचर क्रय एवं फर्नीचर मरम्मत।
- टेंट का किराया।

- कार्यालयीन स्टेशनरी।
- नेट सेटर का मासिक भुगतान (अधिकतम रुपये 500/- प्रतिमाह तक)
- रेलटेल, बी.एस.एन.एल. एवं अन्य सेवा प्रदाता कंपनी का ब्रॉडबैण्ड का मासिक भुगतान।
- कम्प्यूटर सामग्री क्रय एवं मरम्मत, बीमा, वार्षिक रखरखाव।
- भृत्य, चौकीदार, सफाईकर्मी, पंप ऑपरेटर का वेतन, मानदेय।
- बिजली बिल।
- राष्ट्रीय पर्व पर व्यय-व्यवस्था एवं पुरस्कार वितरण।
- ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाओं की बैठकों में चाय नाश्ते आदि पर व्यय।
- पंचायत कार्यालय का किराये का भवन होने की स्थिति में देय किराया।
- समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं खरीदने पर व्यय।
- सेट टॉप बॉक्स का व्यय।
- इनवर्टर एवं बेटरी का व्यय।
- ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाले ट्रेक्टर ट्राली, कचरा गाड़ी, जनरेटर के लिये उपयोग होने वाले डीजल का व्यय।
- विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों पर होने वाला व्यय।
- डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये Point of Sale (POS) मशीन क्रय।

14वें वित्त, परफॉर्मेंस ग्रांट अंतर्गत पंचायतों को दी जाने वाली राशि को जिन कार्यों पर खर्च किया जाना है, उन कार्यों को पहले ग्राम सभा में अनुमोदित किया जाना जरूरी है।

इसके अलावा किसी विशेष कार्य की आवश्यकता होने पर पंचायतें, संचालक पंचायत राज संचालनालय से मांग कर सकती हैं।

● पंचायिका डेस्क

मध्यप्रदेश में लोक चित्रों से स्वच्छता संवाद

स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश में कुछ नवाचार ऐसे किये गये हैं जिनसे प्रदेश ने अलग पहचान बनाई है। इस अभियान के लिए प्रदेश ने 'लोक चित्र से स्वच्छता संवाद' की एक विशेष मुहिम छेड़ी है इसमें ग्रामीण महिलाओं द्वारा दीवारों पर लोक चित्रों के माध्यम से स्वच्छता की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। लगभग 15 हजार महिलाओं द्वारा बनाये गये लोक चित्रों से अब लाखों ग्रामीण महिलाएं जुड़ गयी हैं। लोक चेतना से जागरूकता के इस नवाचार ने गांवों में स्वच्छता के लिए स्थानीय स्तर पर एक विशेष लहर पैदा की है। इस सरकार का संकल्प है कि कोई भी घर शौचालयविहीन न रहे। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे 4.30 लाख शौचालयविहीन घरों का चिन्हांकन किया गया है, जो बेसलाइन सर्वे 2012 में दर्ज नहीं थे। इन घरों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराई गयी। प्रदेश में पिछले एक वर्ष में स्वच्छता, साफ-सफाई और खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने की गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों को विकसित किया जा रहा है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी घर शौचालयविहीन न रहे, इसलिए शौचालयविहीन घरों का चिन्हांकन किया गया।
- ओ.डी.एफ. के स्थायित्व के लिए 'लोकचित्र से स्वच्छता संवाद' अंतर्गत महिलाओं द्वारा लोक चित्रों के माध्यम से स्वच्छता की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के अगले 5 वर्ष तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शक के रूप में जोड़ने का निर्णय लिया गया। पेयजल एवं स्वच्छता की गुणवत्ता तथा स्थायित्व हेतु 'स्वजल एवं स्वच्छ ग्राम' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की सभी त्रि-स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के लोक प्रतिनिधियों एवं अमले को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- वैज्ञानिक पद्धति से मल प्रबंधन हेतु वॉटर एड इंडिया (Water Aid India) संस्था को जोड़ने का निर्णय।
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में पश्चिमी क्षेत्र अंतर्गत शामिल राज्यों में तृतीय पुरस्कार।

ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान व प्रिया सॉफ्ट

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से इसे 14वें वित्त आयोग अनुदान के ऑनलाइन व्यय के पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) पोर्टल के माध्यम से संपादित करने के लिये अनिवार्य कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रिया सॉफ्ट द्वारा 14वें वित्त आयोग अनुदान के ऑनलाइन व्यय के लिए उपयोग हेतु जिला, जनपद तथा ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर दिये हैं। संपूर्ण प्रदेश में इसका उपयोग किया जा रहा है।

प्रिया सॉफ्ट की प्रक्रिया

1. प्रिया सॉफ्ट का URL : www.accountingonline.gov.in है।
2. पोर्टल में चार लेवल के यूजर हैं- राज्य, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर
3. राज्य प्रबंधक द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के Username - Password बनाये गये हैं जो क्रमशः Admin, Maker एवं Checker हैं।
4. ग्राम पंचायत का बैंक खाता ग्राम पंचायत द्वारा मैप करके 14वें वित्त आयोग अनुदान का ओपनिंग बैलेंस फ्रीज किया जाता है।
5. प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तैयार की जाकर पोर्टल पर रजिस्टर किए जाते हैं जिसे जनपद एडमिन द्वारा Approve किया जाता है। प्रथम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत सचिव का है जिसे मेकर कहा गया है। द्वितीय डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सरपंच का है जिसे चेकर कहा गया है।
6. मेकर एवं चेकर को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उनकी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है जो उनके ई-मेल एवं प्रोफाइल नंबर पर OTP द्वारा सत्यापित की जाती है। जनपद एडमिन द्वारा इनकी प्रोफाइल Approve की जाती है।
7. पब्लिक फायनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) में राज्य एवं ग्राम पंचायत को एजेंसी के रूप में पंजीकृत किया गया है।
8. प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों की मैपिंग Local Government Directory में की गई है जो कि PriaSoft-PFMS में इंटीग्रेट है।
9. भुगतान प्राप्तकर्ता (Vendor) की प्रविष्टि उसके बैंक खाते सहित प्रिया सॉफ्ट में मेकर एवं चेकर द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से Approve किया जाता है। तत्पश्चात पब्लिक फायनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) द्वारा भी Approve किया जाता है।
10. मेकर एवं चेकर द्वारा भुगतान वाउचर अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से अप्रूव कर बैंक सर्वर पर सीधे ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है।

भुगतान प्रक्रिया

1. पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम - प्रिया सॉफ्ट से Approved वेंडर को ही भुगतान किया जाता है।
2. पेमेंट वाउचर की आवश्यक प्रविष्टि के बाद मेकर द्वारा उसके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से फाइल ट्रांसफर ऑब्जेक्ट (FTO) जनरेट किया जाता है एवं चेकर द्वारा वेरीफिकेशन कर उसके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से फाइनल किया जाता है।
3. FTO के बाद भुगतान के एक्सटेन्डेबल मार्कअप लैंग्वेज (XML) फाइल प्रिया सॉफ्ट - पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से बैंक सर्वर पर पहुंचती है एवं भुगतान की स्थिति PriaSoft>-PFMS पोर्टल पर उपलब्ध होती है।

सरपंच एवं सचिव के संयुक्त डिजिटल टोकन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से भुगतान

समस्त ग्राम पंचायत सरपंच के एक वर्ष की वैधता के एवं ग्राम पंचायत सचिव के दो वर्ष की वैधता के व्यक्तिगत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) (क्लास 2) बनाये गये हैं। DSC उपयोग करने हेतु कम्प्यूटर में जावा और DSC ड्राइवर इंस्टॉल किया जाना आवश्यक होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) बनाने हेतु अधिकतम राशि रु. 1000/- व्यय की जाती है।

ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना

- वेब आधारित अनुप्रयोग।
- मोबाइल अनुप्रयोग।
- आयोजना।
- बजटन एवं लेखांकन।
- निगरानी और जियो टैगिंग।
- राज्य के अनुप्रयोगों का पीईएस अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण।
- प्रशिक्षकों के लिए संबंधित प्रशिक्षण।

देश में पारदर्शितापूर्ण त्वरित कार्य व्यवस्था लागू करने के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था में ई-पंचायत व्यवस्था व्यवहार में लाई गई। इसमें सर्वप्रथम सभी पंचायतों को ई-पंचायत स्वरूप दिया गया। नेटवर्क से जोड़ा गया। इससे जहाँ कार्य त्वरित गति से हो रहे हैं, वहीं कार्यों में पारदर्शिता के साथ डिजिटल इंडिया का स्वप्न आकार ले रहा है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत स्तर पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। इससे पंचायत स्तर पर ई-पंचायतें सक्षम होंगी। अभियान के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जा रहा है।

ई-पंचायत के क्षेत्र में

1. **प्रियासॉफ्ट-** वाउचर प्रविष्टियों के माध्यम से प्राप्ति और व्यय विवरण दर्ज करता है और कैश बुक, रजिस्टर इत्यादि स्वचालित रूप में बनाता है।
2. **प्लान प्लस-** सहभागी विकेन्द्रीकृत योजना के सुदृढ़ीकरण में सुविधा देता है और सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करने में सक्षम बनाता है।
3. **नेशनल पंचायत पोर्टल-** सार्वजनिक डोमेन में जानकारी साझा करने हेतु प्रत्येक पंचायत (यानी जेडपी, बीपी और जीपी) के लिए डायनामिक वेबसाइट।
4. **स्थानीय सरकारी निर्देशिका-** स्थानीय सरकारों के सभी विवरण दर्ज करता है और उन्हें यूनीक कोड प्रदान करता है। विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ भी पंचायतों को जोड़ता है।
5. **एक्शन सॉफ्ट-** कार्यों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति को सही प्रकार से दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
6. **राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका-** निर्मित/अनुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण दर्ज करता है; कार्यों के दोहराव से बचने में मदद करता है और उनका रख-रखाव करता है।
7. **एरिया प्रोफाइलर-** किसी गांव/पंचायतों के भौगोलिक, जन सांख्यिकीय, अवसंरचनात्मक, सामाजिक-आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन संबंधी विवरण को दर्ज करता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों, चुनाव आदि के ब्यौरे को दर्ज करता है।
8. **सर्विस प्लस-** सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करने में सहायता हेतु एक गतिशील मेटाडेटा-आधारित सेवा वितरण पोर्टल।
9. **प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल-** नागरिकों, उनकी प्रतिक्रियाओं, प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि सहित हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोर्टल।
10. **सामाजिक लेखा परीक्षा-** पंचायत द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं के तहत काम को समझने, मापने और सत्यापित करने के लिए और इसके अतिरिक्त संबंधित पंचायतों के सामाजिक कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए।

हाल ही में मध्यप्रदेश में लगभग 40 हजार प्रतिभागियों ने वर्चुअल प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे कम्प्यूटीकरण, ई-एप्लीकेशन आधारित लेखांकन, रिकॉर्ड रखने, संपत्ति मानचित्रण, स्थानीय स्तर की योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी पारदर्शितापूर्ण संभव है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से विशेष सॉफ्टवेयर के प्रयोगों की जानकारी प्रदान की गयी, जिसका लाभ ग्रामीणों को प्राप्त होगा।

सभी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक वितरण व्यवस्था से (प्रमाण-पत्र, लाइसेंस, कर संग्रह आदि) प्राप्त हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि देश में मध्यप्रदेश ने सबसे पहले वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश की सभी पंचायतों में डिजिटल भुगतान

मध्यप्रदेश ने पंचायतों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में अनूठा नवाचार किया है। प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है जहाँ ग्राम पंचायतों द्वारा डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश की सभी 22814 पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग और कार्यप्रणाली ने 73वें संविधान संशोधन से हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के क्रियान्वयन को पंख लगा दिये हैं।

पंचायतों में डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया से वर्तमान सरकार के वास्तविक पंचायत राज व्यवस्था लागू करने के वचन ने आकार लिया है। यह कार्य पंचायत व्यवस्था की न्यूनतम इकाई में विकेन्द्रीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

15 अक्टूबर से प्रदेश सभी 22814 पंचायतों में सरपंच तथा सचिव के डिजिटल सिग्नेचर (डोंगल या DSC) के माध्यम से भुगतान प्रारंभ कर दिये गये हैं। पूरे देश में ग्राम पंचायतों द्वारा इस प्रणाली के माध्यम से भुगतान करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है।

उल्लेखनीय है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल के मार्गदर्शन में सचिव सह आयुक्त पंचायत राज श्री संदीप यादव द्वारा पंचायतों में डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री सुनील जैन, उनके सहयोगी दीपक व्यास तथा दल द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल विकसित करके सफलतापूर्वक इस कार्य को सम्पन्न कराया गया।

डिजिटल पेमेंट की इस प्रक्रिया में सरपंच के DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) को जनपद के लॉग इन से रजिस्टर किया जाना होगा, जिसे बैंक द्वारा सत्यापित किया जायेगा। शेष प्रक्रिया पूर्व अनुसार रहेगी। सभी पंचायतें एक भुगतान टेस्टिंग के रूप में करके यह सुनिश्चित करेंगी कि उन्हें नई व्यवस्था से कोई कठिनाई शेष नहीं है। साथ ही MGSIRS (महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट) जबलपुर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत दर्पण पोर्टल तथा DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) के उपयोग के संबंध में सरपंच तथा सचिव को प्रशिक्षित किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये डिजिटल भुगतान का यह अनोखा, अद्भुत और अनूठा उदाहरण है कि जहाँ छोटी सी इकाई ग्राम पंचायत अपना भुगतान डिजिटल प्रणाली से कर रही है वहीं बड़े-बड़े विभाग आज भी चेक तथा NEFT पर निर्भर हैं।

इस तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू यह प्रणाली पंचायतों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक ऐसा उल्लेखनीय कदम है जिससे अब किसी तकनीकी समस्या के कारण पूरे राज्य का भुगतान प्रभावित नहीं होगा।

मध्यप्रदेश के संदर्भ में एक बात विशेष है कि यहां सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग ने कई नवाचार किये हैं और विविध आयाम विकसित किये हैं। पूर्व में मध्यप्रदेश में ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया था।

देश में सबसे पहले पंचायत दर्पण पोर्टल ने पंचायत राज व्यवस्था के कार्यों को त्वरित गति प्रदान की है। इसी दिशा में आई जियो एप्रोच, ई-मार्ग जैसी पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए निर्मित प्रणालियों ने देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।

देश भर में सर्वप्रथम पंचायतों के माध्यम से डिजिटल पेमेन्ट किया जाना प्रदेश का कीर्तिमान है। इस व्यवस्था के आने से निश्चित ही पारदर्शिता के साथ पंचायतें विकास पथ पर कदम बढ़ायेंगी और सम्पूर्ण विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में अपनी एक इकाई के रूप में स्थापित होंगी। एक गांव, एक इकाई, एक गणराज्य यही तो कल्पना है गांधीजी के ग्राम स्वराज की।

● **विजय देशमुख**

रूर्बन मिशन

आत्मा गांव की, सुविधा शहर की

भारत ग्रामीण बाहुल्य देश है। देश की कुल आबादी का 68 प्रतिशत गांवों में बसता है। अतः देश के सम्पूर्ण विकास के लिए गांवों का विकास जरूरी है। इसके लिए ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी के बीच विकास की खाई को पाटने की आवश्यकता महसूस की गई। इस गेप को दूर करने के लिए 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की स्थापना की गयी।

इसका उद्देश्य ग्रामों के क्लस्टर में ऐसे कार्य करना है जिससे शहरों के अनुरूप प्रौद्योगिकी सुविधाएँ और सेवाएं विकसित हो सकें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की अवधारणा में भौगोलिक रूप से समानता रखने वाली जनसंख्या का वह हिस्सा जिसमें सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों का समुचित विकास शहरी और ग्रामीण की खाई को पाटने का प्रयास है। यह सरकार की ऐसी योजना है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अवधारणा को भी समाहित किया गया है।

रूर्बन मिशन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राज्य स्तर पर 5137 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। इसके अंतर्गत संकुल चयन के लिए मापदण्ड निर्धारित है। इन मापदण्डों में जनजातीय क्लस्टर के लिए वहां जनजातीय जनसंख्या की दर, साक्षरता दर तथा कृषि कार्यों में संलग्नता शामिल है। जनजातीय संकुल की जनसंख्या 5 से 15 हजार होना चाहिए। गैर-जनजातीय के लिए समूहों की संख्या 25-30 हजार होना चाहिए तथा वहां लोगों की कृषि कार्यों में संलग्नता, साक्षरता, मूल्य वृद्धि आदि के आधार पर संकुल का चयन किया जाता है। मध्यप्रदेश से 7 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें 5 जनजातीय तथा 2 गैर-जनजातीय क्लस्टर शामिल हैं।

किये जाने वाले कार्य

रूर्बन मिशन के तहत विभिन्न कार्य जैसे पाइप द्वारा जलापूर्ति का प्रावधान, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा भण्डारण और वेयर हाउसिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालय, उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, एल.पी.जी. गैस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने, ई-ग्राम कनेक्टिविटी के लिए सिटीजन सर्विस सेंटर, स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, साजोसामान से पूरी तरह लैस मोबाइल हेल्थ यूनिट, आर्थिक कार्यकलापों से संबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण जैसे कार्य प्राथमिकता या सामुदायिक मांग के आधार पर किये जा रहे हैं।

प्रदेश में रूर्बन मिशन के अंतर्गत तीन चरणों में 15 जिलों में चयनित 19 संकुल (11 जनजातीय तथा 8 गैर-जनजातीय) की 164 ग्राम पंचायतों के 338 ग्रामों में कार्य किये जा रहे हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास अमला इस कार्य में इतनी सक्रियता और उत्साह से कार्य कर रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिंगरौली के सरपंच ने इस मिशन की अपनी परिभाषा भी बना ली है। उनके अनुसार ''रूर्बन मिशन वह मिशन है जिसमें आत्मा ग्रामीण और सोच शहरी का समावेश है।'' जिसमें ग्रामीण और शहरी की खाई की पूर्ति की जा सके। इसके लिए जरूरी है कि शहरी क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएँ भी गांवों में उपलब्ध हों यह सुनिश्चित किया गया है। इस मिशन से अपेक्षा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आर्थिक, प्रौद्योगिकीय सुविधाओं और सेवाओं का अंतर समाप्त हो जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी, निवेश बढ़ेगा और आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त होगा।

प्रदेश के ऐसे ग्राम, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के दायरे में नहीं आ पा रहे थे, उनको बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से सड़क निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन और गुणवत्ता नियंत्रण में नवाचारों के साथ प्रदेश देश में सबसे आगे है। मध्यप्रदेश में विश्व बैंक की तकनीकी आवश्यकता और शर्त अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण के लिए जियोरीच सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। इसके तहत सड़क निर्माण योजना के टेण्डर से लेकर भुगतान तक शामिल है। मध्यप्रदेश एनआईसी के सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर श्री विवेक चितले और उनकी टीम द्वारा तैयार यह सॉफ्टवेयर देश का पहला सॉफ्टवेयर है जिसमें सड़क निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया की ऑनलाइन व्यवस्था है।

देश में पहली बार सड़क निर्माण के लिए

मध्यप्रदेश ने बनाया सॉफ्टवेयर

सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग और विकास के नवाचारों के लिए मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। प्रगति पथ पर निरन्तर बढ़ते प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों की विकास यात्रा में एक और अध्याय तब जुड़ गया जब देश में पहली बार मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण की प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया।

प्रदेश में बने जियोरीच सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्व बैंक की शर्त तथा आवश्यकता अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के टेण्डर से लेकर भुगतान तक की ऑनलाइन व्यवस्था है। सॉफ्टवेयर का निर्माण मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क निर्माण विकास प्राधिकरण के लिए एन.आई.सी. मध्यप्रदेश के सीनियर टेक्निकल डॉयरेक्टर श्री विवेक चितले और उनके दल द्वारा किया गया है। प्रदेश के ऐसे ग्राम, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के दायरे में नहीं आ पा रहे थे, उनको बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। योजना में निर्मित लगभग 10 हजार किलोमीटर सड़कों को डामरीकृत करने की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। समझौते के अनुरूप राज्य सरकार को मॉनिटरिंग से पेमेंट तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर सतत निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित करना आवश्यक था, जिसके चलते यह सॉफ्टवेयर बनाया गया।

विश्व बैंक द्वारा यह राशि इस शर्त पर देने के लिए सहमति प्रदान की गई है कि सड़क की मॉनिटरिंग से लेकर भुगतान तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ निर्धारित मापदण्ड और समय-सीमा में पूर्ण की जायेगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिनकी मॉनिटरिंग विश्व बैंक के विशेषज्ञ यू.एस.ए. और इंग्लैंड से भी कर सकें। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के लिए 'जियोरीच' सॉफ्टवेयर बनने के बाद काम प्रारंभ हो चुका है। विश्व बैंक द्वारा 2275 करोड़ रुपये की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया है। अभी तक 6000 किलोमीटर सड़कों को डामरीकृत किया जा चुका है।

मध्यप्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता और समय-सीमा में निर्माण करने का ही परिणाम है कि भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को नई दिल्ली में तीन राष्ट्रीय पुरस्कार, सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, गुणवत्ता नियंत्रण में आधुनिक तकनीकी और सर्वाधिक लम्बाई की सड़कों के निर्माण के लिये दिये गये हैं।

मध्यप्रदेश में बना ई-मार्ग देश भर में लागू

देश में पहली बार मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के रख-रखाव और संधारण के लिए ई-मार्ग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के इस्तेमाल से निर्मित ई-मार्ग से सड़क निर्माण के विभिन्न पक्षों और गुणवत्ता की निगरानी तथा मेंटेनेन्स की समुचित पारदर्शी व्यवस्था संभव है। एनआईसी मध्यप्रदेश के सीनियर टेक्नीकल डायरेक्टर श्री विवेक चितले एवं उनके दल द्वारा निर्मित इस अनूठे ई-मार्ग को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। गाँव-गाँव तक समृद्धि के रास्ते तय करती सड़कों के निर्माण, गुणवत्ता और रखरखाव के लिए जीआईएस तथा डिजिटल सिग्नेचर पर आधारित प्रौद्योगिकी प्रणालियों से बने इस ई-मार्ग को मध्यप्रदेश स्टेट एक्सीलेन्स अवॉर्ड इन ई-गवर्नेंस भी प्राप्त है।

सड़क निर्माण के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस से योजना निर्माण, नियोजन और क्रियान्वयन की यह पहल समूचे देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश में हुई है।

प्रदेश में ई-गवर्नेंस के तहत किये गये प्रयासों में एक तरफ जहाँ विकास से जोड़ती सड़कें निर्मित हुई हैं, वहीं इन सड़कों के गुणवत्ता की निगरानी के लिए समूची पारदर्शी व्यवस्था की गई। समस्त निविदाओं का ई-टेण्डर पद्धति से आमंत्रण, बिलों का त्वरित भुगतान, जीआईएस आधारित सभी मार्गों का कोर नेटवर्क, नवीन मार्ग का ई-प्रबंधन संभव हुआ है। सड़कों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए ई-मेंटनेंस प्रणाली लागू की गयी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश में आज तक बनाई गई 60 प्रतिशत सड़कें परफार्मेन्स गारंटी पीरियड से बाहर आ गई है, इनकी अब मरम्मत किया जाना है। इस प्रक्रिया पर सतत् निगरानी के लिए सुदृढ़ तकनीकी की जरूरत है। इस परिस्थिति में 'ई-मार्ग' बेहतर विकल्प है। इसे शीघ्र ही रोड बनाने वाले अन्य विभागों द्वारा भी लागू किया जा सकता है।

- **देश में पहली बार मध्यप्रदेश में सड़कों की मॉनीटरिंग के लिए ई-मार्ग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया।**
- **मध्यप्रदेश में विकसित किये गये ई-मार्ग सॉफ्टवेयर से पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की मॉनीटरिंग की जायेगी।**
- **इस ई-मार्ग सॉफ्टवेयर को देश के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है।**
- **प्रदेश में इस सॉफ्टवेयर के लागू होने के कारण मध्यप्रदेश में देश में सबसे कम 6.16 प्रतिशत सड़कों पर मेंटनेंस का काम निकल रहा है।**
- **सड़कों की गुणवत्ता की जांच मोबाइल एप से संभव, ई-मार्ग सॉफ्टवेयर औचक निरीक्षण का स्थान भी तय करेगा।**
- **ई-मार्ग सॉफ्टवेयर द्वारा रि-फॉर्म्स और प्रोसेस इंजीनियरिंग से कार्य करने की शैली में बड़ा बदलाव आया है।**

● प्रवीण पाण्डेय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 एवं 2 में दिसम्बर 2018 से अब तक 554 मार्ग पूर्ण कर 3319 कि.मी. लंबाई की सड़कें पूर्ण की गईं एवं 366 बसाहटों को संपर्कता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4000 कि.मी. सड़कों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हैं। इनमें 1225 कि.मी. सड़कों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये। म.प्र. ग्रामीण सड़क सम्पर्क परियोजना (एमपीआरसीपी) के अंतर्गत 136.54 करोड़ रुपये का व्यय करते हुए 2752.51 कि.मी. लंबाई की बी.टी.-सी.सी. मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राज्य वित्त पोषित अन्य योजनाओं (राज्य ग्रामीण संपर्कता, मण्डी, पंचायत राज संचालनालय) के अंतर्गत 670 कि.मी. के 561 मार्ग पूर्ण कर 580 ग्रामों को संपर्कता प्रदान की गई। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना योजनांतर्गत निर्मित सड़कों के आवधिक रखरखाव हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई (केंद्रांश राशि 114.19 करोड़ रुपये एवं राज्यांश राशि 76.13 करोड़ रुपये)। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में RES OWMS (Rural Engineering Services Online Work Management System) के माध्यम से विभाग अंतर्गत निर्माण कार्यों के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति जारी कर प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र, जियोटैग फोटोग्राफ एवं अनुबंध से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन कर देयकों का भुगतान किया जा रहा है।

हर एक का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। देश के गरीबों के इस स्वप्न को पूर्ण करने की जिम्मेदारी अब सरकार ने ली और प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत ''सबका सपना घर हो अपना'' को मूर्त रूप देने के अमल में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। यहाँ देश में सबसे पहले सर्वाधिक 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया। जबकि प्रदेश में आवास निर्माण का लक्ष्य 17.95 लाख है। यह लक्ष्य 2022 तक पूर्ण करना है। योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश में कई नवाचार भी हुए हैं। प्रदेश में 40 हजार राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण और 10 हजार महिला राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण की योजना ने विशेष राज्य का स्थान दिलाया है। मध्यप्रदेश सरकार ने महिला राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर किये जाने की अनूठी योजना बनाई है। सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कदम है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत

प्रशिक्षण रणनीति एवं क्रियान्वयन

ग्रामीण आवास की आवश्यकता को पूरा करना एवं गरीब समुदाय की इस समस्या को हल करना सरकार की महती जिम्मेदारी है। इस दायित्व को पूर्ण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की गयी है।

इस योजना को शुरू करने के पीछे मंशा है कि वर्ष '2022 तक सबके लिए आवास' उपलब्ध हो सके। योजना के अन्तर्गत चिहिन्त हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए चार किश्तों में शासन द्वारा 1 लाख 20 हजार रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही साथ मनरेगा योजना से हितग्राही को 90 से 95 दिवस की मजदूरी एवं 5 फलदार, छायादार वृक्ष के लिए 5000/- रुपये प्रदान करने का प्रावधान भी रखा गया है। योजनान्तर्गत बनने वाले आवास में शौचालय बनाने के लिए भी सहायता राशि स्वच्छ भारत मिशन से उपलब्ध कराई जाती है।

प्रदेश में उत्कृट आवास निर्माण हेतु 45000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया एवं इन्हें प्रशिक्षित करने के लिये राज्य स्तर से प्रशिक्षण रणनीति तैयार की गई है, जिससे अर्द्धकुशल मिस्त्रियों को गुणवत्तापूर्ण आवास बनाने की पूर्ण दक्षता प्राप्त हो सके।

योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज-म.प्र., जबलपुर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कन्स्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कौंसिल ऑफ इंडिया (सीएसडीसीआई) नई दिल्ली के साथ महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, म.प्र., जबलपुर की संबद्धता (एफिलिएशन) की गयी। प्रशिक्षण के सफल क्रियान्वयन एवं राजमिस्त्रियों के व्यवहारिक अभ्यास हेतु 'कन्स्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कौंसिल ऑफ इंडिया (सीएसडीसीआई) नई दिल्ली' के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में संस्थान एवं 6 आनुषंगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में 'मेसन यार्ड' का निर्माण कराया गया।

लीड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण

भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद (सीएसडीसीआई) के ट्रेनर्स द्वारा प्रदेश के लीड ट्रेनर्स के लिये दस दिवसीय प्रशिक्षण अवधि में महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान-मध्यप्रदेश, अधारताल, जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 17 सेवा निवृत्त अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, सहायक वन संरक्षक को सीएसडीसीआई के द्वारा लीड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में कुल 8 लीड ट्रेनर्स परीक्षा में सफल हुये, इन लीड ट्रेनर्स के साथ अन्य सीएसडीसीआई के लीड ट्रेनर्स की सेवाएं भी बतौर लीड ट्रेनर ली गईं। उक्त प्रशिक्षण में लीड ट्रेनर्स के साथ संस्थान एवं 6 आनुषंगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के 20 संकाय सदस्यों एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स को भी शामिल किया गया, ये सर्टिफाईड तो नहीं हुये लेकिन इन्होंने मेसन प्रशिक्षण के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डिमांस्ट्रेटर्स का प्रशिक्षण

प्रदेश की 313 जनपद पंचायतों में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक जनपद पंचायत से 7 डिमांस्ट्रेटर्स

को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार से प्रदेश में कुल 2191 डिमांस्ट्रेटर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। उक्त प्रशिक्षण महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मध्यप्रदेश, अधारताल, जबलपुर के साथ ही साथ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नौगांव जिला छतरपुर एवं सिवनी में आयोजित किये गये।

डिमांस्ट्रेटर प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित बीएफटी, आईटीआई का मेसन ट्रेड उत्तीर्ण एवं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण लोगों का चयन किया गया एवं इनकी जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कर प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया। कुल 2242 डिमांस्ट्रेटर को 58 बैचों में प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 2156 डिमांस्ट्रेटर उत्तीर्ण हुये, जिनका प्रतिशत 96.2 रहा, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक था।

सुपरवाइजर्स का प्रशिक्षण

वर्तमान में प्रदेश में चल रहे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद पंचायत के लिए एक सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। इन सुपरवाइजर्स को उनके योजना के प्रावधानों, गुणवत्तापूर्ण आवास के मानक, उनके दायित्वों की जानकारी देने के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नौगांव जिला छतरपुर एवं सिवनी में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 296 सुपरवाइजर्स प्रशिक्षित किये गये।

राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए शासन द्वारा प्रत्येक जनपद पंचायत में 1 गांव का चयन कर, 7 आवास प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत किये गये। प्रत्येक आवास में एक डिमांस्ट्रेटर द्वारा 5 राजमिस्त्रियों को 45 कार्य दिवस (कुल 60 दिवस) ऑन जाब प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्मित आवास इस जनपद पंचायत के लिए मॉडल हाऊस होते हैं। वर्तमान में प्रशिक्षणरत राजमिस्त्रियों को रुपये 266 प्रतिदिवस स्टाइपेन्ड एवं डिमांस्ट्रेटर को 750 रुपये प्रतिदिवस मानदेय निर्धारित किया गया है। नेशनल स्किल डेवलपमेन्ट काउंसिल (एनएसडीसी) के पोर्टल पर प्रशिक्षण संबंधी डाटाबेस की एंट्री की जाती है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर सीएसडीसीआई नई दिल्ली द्वारा थर्ड पार्टी असेसमेन्ट किया जाकर उत्तीर्ण राजमिस्त्रियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में प्रगतिरत राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के पांचवे चरण तक कुल 50971 प्रशिक्षार्थियों में से कुल 30688 राजमिस्त्री का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है एवं कुल 14083 राजमिस्त्री प्रशिक्षणरत हैं।

प्रदेश में अभी तक कुल 20763 मेसन परीक्षा में सम्मिलित हुये जिनमें से 17251 मेसन (83 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए जिनका सर्टिफिकेट सीएसडीसीआई, नई दिल्ली द्वारा जारी किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश द्वारा सर्वाधिक मेसन सर्टिफाईड किये जाने पर प्रदेश को 'पीएमएवाय-जी रूरल मेसन ट्रेनिंग' में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया।

वर्तमान में प्रगतिरत पांचवे चरण में महिला स्व-सहायता समूह के सक्रिय इच्छुक सदस्य को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में महिला स्व-सहायता समूह के 10267 सदस्य राजमिस्त्री प्रशिक्षणरत हैं।

● समीर शास्त्री

प्रशिक्षण पूर्व प्रतिभागियों में यह था अभाव

- तकनीकी ज्ञान का अभाव।
- प्रशिक्षण के पूर्व उनकी मानसिकता एक मजदूर तक ही सीमित थी।
- प्रशिक्षण के पूर्व रोजगार का अभाव था।
- प्रशिक्षण के पूर्व किसी प्रकार की स्वयं की सुरक्षा का ज्ञान नहीं था।
- प्रशिक्षण पूर्व शिक्षा के स्तर पर काफी कमियां थीं।
- प्रशिक्षण पूर्व टूल्स का ज्ञान नहीं था।
- पहले दैनिक मजदूरी 100 से 150 मिलती थी।

प्रशिक्षण बाद यह परिवर्तन आया

- तकनीकी स्तर से कार्य करने में सक्षम।
- प्रशिक्षण के पश्चात स्वयं का कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि हुई, एक राजमिस्त्री वाली मानसिकता जागृत हुई।
- प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार के सुनहरे अवसर मिले, ग्रामीण क्षेत्र में उनके कार्य का कद बड़ा।
- प्रशिक्षण के उपरांत हेलमेट, चश्मा, जूते, सेफ्टीबेल्ट आदि सुरक्षात्मक वस्तुएं अपनाने लगे।
- प्रशिक्षण उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आया, बच्चे स्कूल जाने लगे।
- प्रशिक्षण पश्चात समस्त टूल्स उपयोग करने लगे।
- प्रशिक्षण पश्चात मजदूरी 300 से 500 रुपये तक मिलने लगी।

सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक पहल

महिला राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनने के लिए प्रदेश की 10 हजार महिलाओं को राजमिस्त्री बनाने का प्रयास किया गया। यह प्रयास कतई साधारण नहीं है। यह समाज परिवर्तन की दिशा में प्रभावी कदम है। चूंकि अब तक राजमिस्त्री का कार्य पुरुषों द्वारा किया जाता रहा है। इस कार्य को करने में पुरुषों का अधिकार था। महिलाएं सामान ढोने, तगारी उठाने के कार्य बतौर सहायक किया करती थीं। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत महिला राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना को मूर्त रूप दिया गया। चूंकि यह सामाजिक बदलाव का कार्य है। इसमें विरोध भी हुएं, चुनौतियाँ भी थीं। उसी अनुरूप रणनीति तैयार की और इस प्रशिक्षण को मूर्त रूप दिया गया। यह प्रशिक्षित महिला राजमिस्त्री अब मजदूर नहीं राजमिस्त्री बन गयी हैं और उनकी मजदूरी मात्र 150 नहीं, लगभग 500 रुपये तक है। प्रशिक्षित महिलाओं के राजमिस्त्री बनने से महिलाओं के लिए रोजगार के नये द्वार खुल गये हैं। वहीं सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में नई इबारत लिख दी गयी है।

प्रशिक्षण में क्या समस्याएं आयीं

अरुण मुकाती, ब्लॉक समन्वयक, इछावर ने महिला राजमिस्त्री प्रशिक्षण की शुरुआत में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया कि पहले दिन चौपाल में जब हमने महिला राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण को लेकर बात की तो गांव के पुरुषों और महिलाओं दोनों ने सिरे से नकार दिया। हम निराश नहीं हुए। हमने दूसरी बार बात की और गांव की महिलाओं से पूछा कि आपको एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है। उन्होंने बताया 150 रुपये। हमने कहा यदि आपको एक दिन की मजदूरी 300 या 350 मिलने लगे तो कैसा रहेगा? सभी ने एक स्वर में कहा यह तो बहुत अच्छा है। अन्ततः वे महिलाएं राजमिस्त्री का प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने पूछा हमें करना क्या है? हमने उन्हें बताया कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7 मकानों के निर्माण के दौरान राजमिस्त्री का काम सीखना है और काम करना है। इसमें आपको मजदूरी 150 रुपये और प्रशिक्षण के 100 रुपये कुल 250 रुपये मिलेंगे, महिलाओं ने एक स्वर में सहमति दे दी। अब विरोध में समाज खड़ा हो गया। विशेषकर गांव के पटेल लोगों ने कहा आप हमारे गांव की महिलाओं को भड़का रहे हैं, उनसे उल्टा-सीधा काम करने के लिए कह रहे हैं। ये महिलाओं का काम नहीं है, पुरुषों का काम है, ऐसी तमाम बातें और प्रश्न उठे।

ऐसे हुई शुरुआत

चूंकि महिलाओं ने तय कर लिया था, इसलिए उन्होंने कदम बढ़ा दिया। महिलाओं का प्रशिक्षण शुरू हो गया। पहला सप्ताह परेशानी में बीता। राजमिस्त्री का कार्य तकनीकी होता है। महिलाओं को उसे समझने में समय लगा। गोला, इंच टेप आदि से नापने की प्रक्रिया महिलाओं के लिए नई भी थी और अटपटी भी। इछावर जनपद में लगभग 33 से 37 महिलाओं ने कुशल रोजगार का प्रशिक्षण लिया। आरंभ में वे सभी चुनाई करने में हिचकिचा रही थीं। हमने उनका मनोबल बढ़ाया, लगभग दो सप्ताह बाद हमें ग्राम पंचायत आर्या की रामलता चुनाई करती दिखीं, हमें लगा अब प्रशिक्षण संभव है। प्रशिक्षण के 22 चरण थे जिनमें समकोण बनाना, चौखट्टी निकालना, क्षेत्र का लेबल

जांचना, लेआउट, गड्ढों की खुदाई, प्लिंथ तक नींव निर्माण, चुनाई का मसाला बनाना, ईंट की चुनाई, दरवाजे, खिड़की लगाना, गोला और गुनिया से लेवल लेना, शेल्फ बनाना, प्लास्टर करना, सरिया काटना, सरिया मोड़ना, कॉलम और बीम को भरने की पद्धति, छत पर सरिया बांधना, सरिये पर दूरी के माप का ध्यान रखना, इन तमाम तकनीकी पक्ष के बारे में तथा बारीकियों को महिलाओं ने सीखा और राजमिस्त्री का प्रशिक्षण पूर्ण किया।

सवालों पर खरी उतरीं महिलाएं

प्रशिक्षण संस्थान बरखेड़ी की प्रिंसिपल जब आर्या गांव भ्रमण पर गयीं तो उन्होंने कार्य को जांचने की प्रक्रिया के तहत पूछा कि दोनों ईंट के बीच के भाग को क्या कहते हैं? एलूबाई ने अंग्रेजी को तोड़ते हुए जवाब दिया रलिंग अर्थात रेंकिंग। चुनाई के मसाले के बारे में पूछने पर महिलाओं ने बताया 1 तगारी सीमेंट और 4 तगारी रेत डालकर मसाला बनता है। फ्लोरिंग के मसाले के बारे में पूछने पर महिलाओं ने बताया 1:4:6 अर्थात् 1 सीमेंट, 4 रेत और 6 गिट्टी। सरिया काटने को लेकर पूछे गये प्रश्न के उत्तर में तो हीरामणि बाई ने पूरी प्रक्रिया ही बता दी और यह भी बताया कि छत पर 12 एम.एम. का सरिया बांधा जाता है। महिलाओं की समझ को देख क्षेत्रीय ग्रामीण संस्थान भोपाल की प्राचार्या श्रीमती प्रीति गुप्ता आश्चर्यचकित रह गयीं।

क्या आया बदलाव

महिलाओं द्वारा राजमिस्त्री का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद गांव के लोगों की मानसिकता बदल गयी है। महिलाओं का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। जहाँ उन्हें पहले मात्र 150 रुपये मिलते थे वहां अब उन्हें प्रशिक्षण के दौरान 350 रुपये मिल रहे हैं। राजमिस्त्री बनने के बाद वे 500 रुपये से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करेंगी। सबसे बड़ी बात अब ये महिलाएं मजदूर नहीं राजमिस्त्री बन गयी हैं।

मध्यप्रदेश के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की सार्थक पहल

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, बालश्रम, स्कूलों और अनुदान प्राप्त मदरसों में बच्चों को निर्धारित मीनू के अनुसार स्वादिष्ट-रुचिकर भोजन दोपहर को दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों को देखें तो प्रदेश की 1,07,492 शासकीय शालाओं में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये जिसमें महिला रसोइयों को धुआं मुक्त किचनशेड की सुविधा उपलब्ध है।

बच्चे समाज का भविष्य हैं। बच्चों को बुनियादी रूप से हृष्ट-पुष्ट बनाना आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सक्रिय मस्तिष्क काम करता है। इसीलिए बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने की योजना प्रारंभ की गई है। बुनियादी महत्व का यह जनहितैषी कार्यक्रम शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, बालश्रम स्कूलों तथा शासकीय अनुदान प्राप्त मदरसों में लागू है। इसके तहत बच्चों को निर्धारित खाद्य सूची (मेनू) के अनुसार ताजा पका हुआ गरमागरम और स्वादिष्ट-रुचिकर भोजन दोपहर में दिया जाता है।

मध्यान्ह भोजन विषयक योजना बहुत बारीकी से तैयार की गई है। इस योजना के पांच घटक हैं:- खाद्यान्न, भोजन पकाने की लागत राशि, रसोइये का मानदेय, खाद्यान्न का परिवहन तथा योजना पर नियंत्रण, मॉनीटरिंग और आकलन यानी एम.एम.ई.।

मध्यप्रदेश में पीएबी से अनुमोदित कुल 1,14,721 प्राथमिक तथा माध्यमिक शालायें हैं। प्राथमिक शालाओं की संख्या 81966 तथा माध्यमिक शालाओं की संख्या 31063 है। मध्यान्ह भोजन योजना से 48,65,379 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। समूची योजना 75301

स्वसहायता समूहों एवं 21 अशासकीय संस्थाओं (केन्द्रीयकृत किचन व्यवस्था) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

मध्यान्ह भोजन से बच्चों के लिये आवयक सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। प्राथमिक शालाओं के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 16.60 ग्राम प्रोटीन तथा 517 कैलोरी मिलती है। इसी प्रकार माध्यमिक शाला के विद्यार्थी को प्रतिदिन 20.60 ग्राम प्रोटीन तथा 720 कैलोरी मिलती है।

यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी बच्चों को पौष्टिक के साथ-साथ ताजा तथा स्वादिष्ट भोजन मिले। इस दृष्टि से सोमवार से शनिवार तक की खाद्य सूची (साप्ताहिक मेनू) बना ली गई है। यह गेहूँ-प्रचलन क्षेत्रों तथा चावल-प्रचलन क्षेत्रों के लिये पृथक-पृथक है। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की कुछ विशेषतायें हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय पाया गया है। पूरी व्यवस्था में सुनिचित किया गया है कि कोई निहित स्वार्थ न हो। सारा काम स्वसहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है। खाद्य-सूची यानी मेनू में विविधता, पौष्टिकता और स्वाद का अद्‌भुत सम्मिश्रण है।

एक वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- प्रदेश में 2.31 लाख रसोइयों को प्रतिमाह रुपये 2000/- प्रति रसोइया मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। जिसमें भारत सरकार का रुपये 600/- एवं प्रदेश सरकार का रुपये 1400/- का अंश सम्मिलित है।
- प्रदेश की 1,07,492 शासकीय शालाओं में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये, जिससे महिला रसोइयों को धुआं मुक्त किचनशेड की सुविधा उपलब्ध हुई है, जो कि सराहनीय नवाचार है।
- प्रदेश की 9389 शालाओं में किचनशेड निर्मित किये गये तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5300 किचनशेड स्वीकृत कर प्रथम किश्त रुपये 61.18 करोड़ की राशि प्रदाय की गई।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोर्टल

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की व्यवस्था के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और भुगतान में समयबद्धता लाने के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोर्टल तैयार किया गया है, जिसका लक्ष्य है मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में वास्तविक लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, राशि का समय पर भुगतान हो, खाद्यान्न का आवंटन, उठाव तथा अंतिम कोष की सही स्थिति प्राप्त हो सके। पोर्टल तैयार करने का महत्वपूर्ण उद्‌देश्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन और संचालन को ऑनलाइन तथा कागजमुक्त करना है। इसके लिए अगस्त 2017 से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत राशि का भुगतान और खाद्यान्न का आवंटन मध्यान्ह भोजन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन खाद्यान्न आवंटन

- खाद्यान्न का आवंटन शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या के 65 प्रतिशत के मान से किया जाता है। इससे अधिक उपस्थिति जिला कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के प्रमाणीकरण पर मान्य की जाती है।
- खाद्यान्न का आवंटन प्रतिमाह अग्रिम रूप से किया जाता है। प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लक्षित छात्र संख्या के मान से शालावार तथा उचित मूल्य की दुकानवार रिलीज ऑर्डर जारी कर नागरिक आपूर्ति निगम के पोर्टल पर लिंक कर दिया जाता है।
- शालावार तथा उचित मूल्य की दुकानवार खाद्यान्न की मात्रा शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर संचालित POS मशीन पर भेज दिया जाता है।
- शालाओं में मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाले स्व-सहायता समूह के चिन्हित सदस्य खाद्यान्न का उठाव करते हैं।
- खाद्यान्न के ऑनलाइन आवंटन के विरुद्ध किये गये उठाव की मात्रा के आधार पर परिवहन एवं केन्द्रीय प्रदाय दर की प्रतिपूर्ति राज्य स्तर से पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
- माहवार जारी किये गये आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव समय सीमा में कराये जाने की जिम्मेदारी जिलों की है।
- शासन स्तर से जारी खाद्यान्न की अवोष मात्रा का समायोजन आगामी माह में किया जाता है।

● पंचायिका डेस्क

मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन

मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूहों का रोज़गार से स्थाई आजीविका का जन आंदोलन

इस सरकार ने आजीविका मिशन के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा को तेज गति प्रदान की है। विगत एक वर्ष में 5.32 लाख परिवारों को संगठित कर 49,815 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया। बैंकों से 37,097 प्रकरणों में से 232 करोड़ का ऋण दिलाया गया। लगभग 1.76 लाख परिवारों को कृषि एवं पशुपालन आधारित गतिविधियों से जोड़ा गया। 74,478 बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार और स्व-रोज़गार से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण तथा मुख्यमंत्री स्व-रोज़गार योजना में ग्रामीण खेत्र में 6269 हितग्राहियों को स्व-रोज़गार हेतु बैंक से 58.58 करोड़ का ऋण उपलब्ध किया गया।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण गरीबों के आर्थिक विकास और स्वावलंबन के लिए मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रभावी कार्य किया जा रहा है। गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित कर आजीविका के स्थाई अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं।

इस सरकार ने आजीविका मिशन के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा को तेज गति प्रदान की है। विगत एक वर्ष में 5.32 लाख परिवारों को संगठित कर 49,815 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया।

बैंकों से 37,097 प्रकरणों में से 232 करोड़ का ऋण दिलाया गया। लगभग 1.76 लाख परिवारों को कृषि एवं पशुपालन आधारित गतिविधियों से जोड़ा गया। 74,478 बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार और स्व-रोज़गार से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण तथा मुख्यमंत्री स्व-रोज़गार योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 6269 हितग्राहियों को स्व-रोज़गार हेतु बैंक से 58.58 करोड़

प्रमुख उपलब्धियां
दिसम्बर 2018 से अब तक

- 5.32 लाख परिवारों को संगठित कर 49,815 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया।
- बैंकों से 37,097 प्रकरणों में से राशि रु. 232 करोड़ का ऋण दिलाया गया।
- लगभग 1.76 लाख परिवारों को कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया।
- विभिन्न गैर-कृषि उत्पाद जैसे - अगरबत्ती, सेनेटरी पैड, चूड़ियां, साबुन, स्कूल ड्रेस, फिनाइल, हैण्डलूम आदि बनाने का कार्य मिशन में स्व-सहायता समूह सदस्य सफलता पूर्वक कर रहे हैं।
- लगभग 21 हजार स्व-सहायता समूह सदस्य से गैर-कृषि आधारित आजीविका गतिविधियां सफलतापूर्वक कर रहे हैं।
- 74,478 बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार, स्व-रोज़गार के अवसर प्रदाय किये गये हैं।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण, मुख्यमंत्री स्व-रोज़गार योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 6269 हितग्राहियों को स्व-रोज़गार हेतु लाभान्वित किया गया है, जिन्हें बैंकों से ऋण राशि रु. 58.58 करोड़ उपलब्ध कराए गए।

म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल

प्रमुख उपलब्धियां (अक्टूबर तक की स्थिति में अद्यतन)

- समूह (एस.एच.जी.) गठन - 2,67,805 स्व-सहायता समूहों का गठन।
- समूहों से जुड़े परिवार - 30,30,730 परिवार समूहों से जोड़े जा चुके हैं।
- ग्राम संगठन - 24,696 ग्राम संगठन, जिनमें 1,81,931 समूह शामिल।
- संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) - 742 बनाए जा चुके हैं।
- सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र - विभिन्न जिलों में सी.टी.सी. 39 संचालित हैं।
- बुक कीपर्स - स्व-सहायता समूहों की बुक कीपिंग के लिए 1,89,920 बुक कीपर्स प्रशिक्षित किये जा चुके हैं।
- समुदाय स्रोत व्यक्ति (सी.आर.पी.) - कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एवं कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 31,708 समुदाय स्रोत व्यक्तियों (सी.आर.पी.) का चिन्हांकन व प्रशिक्षण किया गया है।
- परिक्रामी निधि (आर.एफ.) - 1 लाख 52 हजार स्व-सहायता समूहों को रु. 197.25 करोड़ की परिक्रामी (चक्रीय) निधि प्रदान की गई है।
- सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) - 76,459 स्व-सहायता समूहों को सीआईएफ के रूप में रु. 607.25 करोड़ की परिक्रामी (चक्रीय) निधि प्रदान की गई है।
- बैंक ऋण - बैंकों से 2,32,965 प्रकरणों में रु. 2,633 करोड़ का ऋण दिलाया।
- बैंक सखी/वीसी - समूहों का लेन-देन सरल करने की दृष्टि से 1322 बैंक सखी एवं 584 बैंक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेन्ट प्रशिक्षित होकर कार्यरत हैं।
- गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियां - 3 लाख 15 हजार परिवारों द्वारा गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों का संवर्धन किया गया है।
- सेनेटरी नेपकिन - मिशन द्वारा सेनेटरी नेपकिन की उत्पादन/रिपैकेजिंग इकाईयां स्थापित की गई हैं, जिसमें स्व-सहायता समूहों की 7002 महिलाएं जुड़ी हैं, इनके द्वारा 7.23 लाख पैकेट प्रति माह तैयार किए जा रहे हैं।
- अगरबत्ती उत्पादन - अगरबत्ती उत्पादन केन्द्र 707 संचालित हैं, जिनसे 6865 समूह सदस्य जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं।
- स्वच्छता उत्पाद निर्माण - 43 जिलों में 7900 समूह सदस्यों द्वारा साबुन, टॉयलेट क्लीनर, वाशिंग पाउडर, फिनाइल एवं हैण्ड वॉश का निर्माण किया जा रहा है।
- हथकरघा - प्रदेश में 1236 हितग्राही हथकरघा कार्य में संलग्न हैं।
- कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों से जोड़े गये परिवार - 8 लाख 57 हजार परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़े परिवार - 2 लाख 30 हजार परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- उन्नत कृषि - एस.आर.आई. पद्धति से 1,69,091 हितग्राहियों द्वारा धान का उत्पादन खरीफ सीजन में किया गया। जिससे उत्पादन में लगभग दो गुना वृद्धि।
- पोषण वाटिका - लगभग 9,32,217 'आजीविका पोषण वाटिका' तैयार की गई।
- जैविक खेती - जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8,78,555 हितग्राहियों द्वारा वर्मी पिट और नाडेप पिट बनाए गए हैं।
- व्यावसायिक सब्जी - 4,53,569 कृषकों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन से जोड़ा।
- दुग्ध उत्पादन - 1,25,353 परिवारों द्वारा दुग्ध उत्पादन गतिविधि आरंभ।
- उत्पादक कंपनियां - 39 उत्पादक कंपनियां (जिनमें 32 कृषि आधारित, 4 दुग्ध, 2 मुर्गीपालन, 1 लघु वनोपज) कार्यरत हैं।
- बाड़ी विकास - बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4506 बाड़ी विकसित की गईं।
- रोज़गार/स्व-रोज़गार (डी.डी.यू.जी.के.वाई.) - इस कार्यक्रम अंतर्गत 8,28,945 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार मेला तथा ग्रामीण स्व-रोज़गार प्रशिक्षण संस्थाओं (आरसेटी) के माध्यम से रोज़गार के अवसर उपलब्ध।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्व-रोज़गार योजना - मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री स्व-रोज़गार योजना के माध्यम से 54,963 हितग्राही लाभान्वित।

का ऋण उपलब्ध किया गया।

मिशन का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। मिशन का लक्ष्य है, गरीब परिवारों को उपयोगी स्व-रोज़गार तथा कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, निर्धनता कम करना और मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की जीविका को स्थाई आधार पर बेहतर बनाना।

आजीविका मिशन द्वारा विभिन्न स्तरों पर समर्पित सहायता संरचनाओं तथा संगठनों के माध्यम से सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करने, उनकी क्षमता वृद्धि करने, वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने, स्व-प्रबंधित आत्मनिर्भर संगठनों का गठन, रोज़गार से जोड़ने, लाभकारी स्व-रोज़गार और उद्यमों के माध्यम से गरीबी दूर करने का प्रयास किया गया।

इसी के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन द्वारा लगभग 2 लाख 67 हजार 805 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है।

इन समूहों से 30 लाख 30 हजार 730 से अधिक परिवार जुड़ गये हैं। बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को अब तक 2 लाख 32 हजार 935 प्रकरणों में 2 हजार 633 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वारा महिला स्वावलम्बन की हजारों सफल गाथाओं ने विकास का इतिहास रचा है।

प्रदेश में इस वर्ष 1257 करोड़ से अधिक
मानव दिवस रोज़गार सृजन

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश ग्रामीणों को रोज़गार मुहैया कराने में वरदान सिद्ध हुई है। इस वर्ष 1257.75 करोड़ मानव दिवस रोज़गार का सृजन किया गया है, जो लक्ष्य की 63 प्रतिशत उपलब्धि है। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अंचल में स्थानीय लोगों को मजदूरी उपलब्ध कराई जा रही है तथा मशीनों के उपयोग को कड़ाई से रोका गया है। मनरेगा के माध्यम से गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्य तेजी से संचालित कराये जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में 5 लाख 27 हजार 339 निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम - 2005, पांच सितंबर, 2005 से लागू हुआ है। अधिनियम के तहत 2 फरवरी, 2006 से प्रदेश के 18 जिलों में रोज़गार उपलब्ध कराना प्रारंभ हुआ। एक अप्रैल, 2008 से संपूर्ण प्रदेश में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अकुशल श्रम करने के इच्छुक काम की मांग करने वालों को नियमित रूप से रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक साल में 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराने के साथ ही गांव में स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए विभिन्न उपयोजनाओं को निर्मित कर उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं संचालन किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत हितग्राहीमूलक तथा समुदायमूलक उपयोजनाएं मध्यप्रदेश में संचालित की जा रही हैं। ये उपयोजनाएं गांव के सशक्त और समग्र विकास में कारगर सिद्ध हो रही हैं। महात्मा गांधी नरेगा के साथ अन्य योजनाओं के अभिसरण के फलस्रूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के साथ-साथ आजीविका के स्थाई संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। स्थाई संसाधनों की उपलब्धता से ग्रामीणों का अर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। गांवों में स्थाई अधोसंरचनात्मक विकास कार्य निर्मित हुए हैं। गांव और ग्रामीणों के समग्र विकास के लिए योजना के क्रियान्वयन को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया गया है। साथ ही मैदानी अमले की जवाबदेहिता भी सुनिश्चित की गई है।

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां महात्मा गांधी नरेगा में इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम के लागू होने से मजदूर द्वारा काम की मांग करने से लेकर उसके खाते में मजदूरी भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रदर्शित होने लगी है। इस व्यवस्था से हर स्तर पर जिम्मेदारी तय हो गयी है और समूची कार्यवाही पारदर्शी बन गयी है। मध्यप्रदेश में 26 नवम्बर 2016 से Nefms लागू किया गया है, जिससे सरकार के खाते से राशि सीधे श्रमिक के खाते में हस्तांतरित हो रही है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश ग्रामीणों को रोज़गार मुहैया कराने में वरदान सिद्ध हुई है। इस वर्ष 1257.75 करोड़ मानव दिवस रोज़गार का सृजन किया गया है, जो लक्ष्य की 63 प्रतिशत उपलब्धि है। मनरेगा के माध्यम से

महात्मा गांधी नरेगा : मुख्य बिन्दु

- **वर्ष 2019-20 हेतु 2000 लाख मानव दिवस का लक्ष्य है।**
- **लक्ष्य के विरुद्ध 1257.75 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं।**
- **लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 63 प्रतिशत है।**
- **अनुसूचित जाति- 14.34 लाख मानव दिवस।**
- **अनुसूचित जनजाति- 32.86 लाख मानव दिवस।**
- **महिला- 37.82 लाख मानव दिवस।**
- **मजदूरी पर 3,12,075 लाख रुपये तथा सामग्री पर 1,22,129 लाख रुपये व्यय किया गया है।**
- **इस अवधि में 5,37,339 कार्य पूर्ण किये गये हैं।**
- **प्रदेश के 16 जिलों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों पर 68.67 प्रतिशत व्यय किया गया।**
- **37,033 परिवारों द्वारा 100 दिवस का कार्य पूर्ण किया गया।**
- **गौशाला परियोजना - वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1000 गौशाला निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।**
- **903 गौशालाओं का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।**
- **मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की समस्या को हल करके वर्ष में 100 दिन का रोज़गार देना है।**
- **मनरेगा के तहत गांवों के सम्पूर्ण विकास के लिए कई कार्य किये रहे हैं। इसमें किये जाने वाले निर्माण कार्य टिकाऊ, सर्वोपयोगी, श्रमप्रधान और रोज़गारमूलक हैं।**

ग्रामीण अंचल में स्थानीय लोगों को मजदूरी उपलब्ध कराई जा रही है तथा मशीनों के उपयोग को कड़ाई से रोका गया है। मनरेगा के माध्यम से गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्य तेजी से संचालित कराये जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में 5 लाख 27 हजार 339 निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं। इनमें 68.67 प्रतिशत कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की गतिविधियों पर आधारित हैं। गत वर्ष मात्र 48.16 प्रतिशत कार्य कराये गये।

मनरेगा में रोज़गार की गतिविधियों में महिला श्रमिकों की 33 प्रतिशत भागीदारी का प्रावधान है। मध्यप्रदेश ने इस प्रावधान से अधिक महिला श्रमिकों को रोज़गार मुहैया कराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 37,033 परिवारों को 100 दिवस रोज़गार मुहैया कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। मध्यप्रदेश में कुल आवंटित बजट का 69 प्रतिशत मजदूरी पर तथा मात्र 31 प्रतिशत मटेरियल पर खर्च किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है। प्रदेश सरकार ने मशीनों के उपयोग के लिये किसी भी तरह की छूट नहीं चाही है।

● **ज्योति राय**

नदी कछार में जल संरक्षण-संवर्धन

मध्यप्रदेश सरकार ने जल के संरक्षण की एक विस्तृत योजना बनाई है। इसके अंतर्गत नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन की योजना है। जल संकट और नदियों के दम तोड़ने वाले ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश में जहां हजारों स्थानीय नदियां और तालाब दम तोड़ चुके हैं वहीं मध्यप्रदेश में नदियों का आंकड़ा तीन सौ के पार और सूखकर समतल होने वाले तालाबों की संख्या चार हजार से ऊपर बताई जाती है। इस दिशा में विस्तृत खोज होना बाकी है, जिसका काम सरकार ने शुरू कर दिया है। जल का संरक्षण और उसके वितरण की विस्तृत और व्यापक व्यवस्था हो, यह काम सरकार की प्राथमिकता में है इसीलिए एक तरफ यदि जल के अधिकार की नीति बनाई है तो दूसरी ओर नदियों और तालाबों के व्यापक संरक्षण की।

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम में कुल 40 जिलों में 40 नदियां चयनित की गई हैं। चयनित नदियों के 20.83 लाख हेक्टेयर कैचमेंट क्षेत्र में सेचुरेशन मोड में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यों की योजना है। 7892.15 करोड़ रुपये की लागत से, 4,79,448 कार्यों का चयन किया गया है। 953.41 करोड़ रुपये लागत के 56,193 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है तथा 40.92 करोड़ रुपये लागत के 4674 कार्य पूर्ण किये गये।

जल संरक्षण-संवर्धन के लिए किए जाने वाले कार्य

- कंटूर ट्रेंच एकल कार्य अथवा वानस्पतिक बंधान के साथ
- गली प्लग, लूज बोल्डर चेक
- कंटूर बोल्डर वॉल
- गेबियन संरचना
- पड़त भूमि, गैर कृषि भूमि पर वृक्षारोपण
- भूजल संवर्धन के कार्य जैसे- परकोलेशन तालाब, कुओं का रिचार्ज, अंडरग्राउंड डाईक, रिचार्ज पिट, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज कूप इत्यादि
- चैकडेम, स्टाप डेम
- तालाब
- खेत तालाब
- मेढ़ बंधान

प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने वचन पत्र में नदियों एवं जल स्रोतों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम लागू करने का वचन दिया था, जिसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा है।

आयोजना के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिन नदियों का पानी सूख जाता है उन्हें चिन्हित कर पुनर्जीवन पर कार्य शुरू कर दिया है। नदियों के कछार क्षेत्र में भूजल के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य किये जायेंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में नदी संरक्षण संवर्धन की दिशा में वैज्ञानिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक सभी पक्षों को समाहित करते हुए सुव्यवस्थित रणनीति तैयार की गयी है। जिसे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के तहत जिला, विकासखण्ड तथा पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किया जायेगा।

हिंद स्वराज : गांधीजी का विचार सागर

लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए महात्मा गांधीजी ने रास्ते में जो संवाद लिखा इसे 'हिंद स्वराज' के नाम से छपाया। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए सतत लड़ते हुए गांधीजी 1909 में लंदन गए थे। वहाँ कई क्रांतिकारी स्वराज प्रेमी भारतीय नवयुवक इन्हें मिले। उनसे गांधीजी की जो बातचीत हुई उसी का सार गांधीजी ने एक काल्पनिक संवाद में ग्रंथित किया है। इस पुस्तक के अंशो कों पंचायिका के मासिक अंकों में एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस अंक में प्रस्तुत है स्वराज के बारे में पाठक व संपादक के काल्पनिक चरित्र के माध्यम से हिंद स्वराज के संपादित अंश।

स्वराज क्या है?

पाठक : कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक-राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया, बंग-भंग से जागृति कैसे हुई, अशांति और असंतोष कैसे फैले, यह सब जाना। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वराज के बारे में आपके क्या ख्याल है। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फरक हो।

संपादक : फरक होना मुमकिन है। स्वराज के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वह क्या है इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुँचे हैं। अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए, यह विचार बहुतों के मुँह से सुना जाता है, लेकिन इन्हें क्यों निकालना चाहिए, इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूँ। मान लीजिए कि हम माँगते हैं इतना सब अंग्रेज हमें दे दें, तो फिर इन्हें (यहाँ से) निकाल देने की जरूरत आप समझते हैं?

पाठक : मैं तो इनसे एक ही चीज मांगूंगा। वह है : मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। यह मांग वे कबूल करें और हिंदुस्तान से चले जाए, तब भी अगर कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करें कि वे यहीं रहते हैं, तो मुझे इसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग 'जाना' का अर्थ 'रहना' करते हैं।

संपादक : अच्छा, हम मान लें कि हमारी माँग के मुताबिक अंग्रेज चले गए। इसके बाद आप क्या करेंगे?

पाठक : इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं, इस पर बाद की हालत का आधार रहेगा। मान लें कि आप कहते हैं इस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि इसका बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएँगे। कहने से ही वे चले जाएँ तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राजकाज चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी।

संपादक : आप भले ही ऐसा मानें, लेकिन मैं नहीं मानूँगा। फिर भी मैं इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वह जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह दे सकता हूँ। इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूँ। अंग्रेजों को क्यों निकालना चाहते हैं?

पाठक : इसलिए कि इनके राज-कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं। वे अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बरताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते।

संपादक : अगर वे धन बाहर न ले जाएँ, नम्र बन जाएँ और हमें बड़े ओहदे दें, तो इनका रहने में आपको कुछ हर्ज है?

पाठक : यह सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट दे तो इसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है? ऐसा सवाल आपने पूछा, यह सिर्फ वक्त बरबाद करने के ख्रातिर ही। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके, तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं है वह होगा, ऐसा मानना मनुष्य की रीत ही नहीं हैं।

संपादक : यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए, पर अंग्रेज (शासक) नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं। और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज नहीं हैं।

पाठक : मैं तो जेसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर, मिल बगैरा महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हों, अंग्रेजों की पार्लियामेंट पार्लियामेंटों की माता हो, तो फिर बेशक मुझे तो लगता है कि हमें इनकी करनी चाहिए। यों तो इन्होंने अपने देश में जो किया है, वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता। इसलिए इसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बतलाइए।

संपादक : अभी देर है। मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएँगे। स्वराज को समझना आपको जितना आसान लगता है इतना ही मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसे आप स्वराज कहते हैं वह सचमुच स्वराज नहीं है।

● **सुदर्शन कुमार सोनी**
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश